Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020 Posted at MBU Chandigarh RNI No. CHABIL/2000/3469

हिन्दी/अंग्रेजी मासिक पत्रिका

दीन बन्धु सर छोटूराम

जाट लहर

जाट सभा, चण्डीगढ़ के सौजन्य से प्रकाशित

वर्ष 20 अंक 12 30 दिसम्बर, 2020 मूल्य 5 रुपये

प्रधान की कलम से

जमीन हमारी गांव हमारा - अन्नदाता भटके मारा-मारा

डा. महेन्द्र सिंह मलिक

भारत कृषि प्रधान व विकासशील राष्ट्र है और 70 प्रतिशत वर्ग कृषि या इससे संबंधित कार्यों पर निर्भर करता है लेकिन समस्त राष्ट्र को अन्न उपलब्ध कराने वाला यह वर्ग अपना पेट भरने के लिये आज सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। लेखक का यह अनुभव है कि जब भी किसान–काश्तकार ने अपने हक के लिये मांग उठाई उस पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार करने की बजाय टालमटोल व भेदभाव की नीती अपनाई गई और किसान हित की आड़ में राजनेताओं व राजनैतिक दलो द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध किया गया। आज समस्त राष्ट्र का किसान–काश्तकार–कामगार और कृषि से जुड़े लघु व्यापारियों में निम्नलिखित तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध जबरदस्त आक्रोश है।

(1) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 (2) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 (3) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

उपरोक्त जनआक्रोश में राष्ट्र के हर वर्ग के नौजवान, छायाकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, तकनीकी विशेषज्ञ, डाक्टर, पूर्व सैनिक, वरिष्ठ युद्धनायक, वरिष्ठ नागरिक (महिला व पुरूष) युवा पीढ़ी, छोटे बच्चे, स्कूल विधार्थी, वरिष्ठ राजनैतिज्ञ, खिलाड़ी वर्ग, समाज सेवी संस्थाएं व खाप पंचायते आदि किसान–काश्तकार द्वारा चलाये जा रहे किसान आन्दोलन के समर्थन में सड़को पर उतर आयें हैं और 3 से 5 डिग्री ठण्ड के प्रकोप में केन्द्रिय व प्रांतीय सरकारों के विरूद्ध प्रदर्शन कर रहे है। यह आन्दोलन जन आन्दोलन बन चुका है। जिसको राष्ट्र के कोने–कोने से हर वर्ग व विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। इन कानूनों के विरोध में कृषि प्रधान राज्य– पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आदि से 40 के करीब किसान संगठन नामबद होकर 26 नवम्बर से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लाखों की संख्या में किसान सिन्घु बार्डर, टिकरी बार्डर व राजधानी दिल्ली के चारों ओर जाम लगाकर ठंड में धरने पर बैठे हैं और लगभग 43 किसान दुर्घटनाओं, पुलिस द्वारा पानी की बौछार, आंसू गैस छोड़ने व ठंड से अपनी जान गंवा बैठे है व खुदकशी कर चुके है। केन्द्रिय सरकार के मुख्य सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल ने तो आन्दोलन के शुरू में ही सरकार से समर्थन वापिस ले लिया था और अकाली दल के संस्थापक/वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने केन्द्रिय सरकार से तुरन्त किसानों से शांतिपूर्ण वार्तालाप करके आन्दोलन का समाधान करने का आग्रह किया है। आन्दोलन में शामिल करनाल के गुरूद्वारा के सन्त बाबा राम सिंह ने तो ठंड में किसानों की दुर्दशा को सहन ना करते हुये स्वयं को गोली मारकर आत्म हत्या कर ली। केन्द्रिय सरकार के किसान आन्दोलन के प्रति अडियल रूख व अनदेखी को देखते हुए पूर्व केन्द्रिय मंत्री व दीनबन्धु छोटूराम के नाती चौ० बीरेन्द्र सिंह ने शासक दल से जुड़ा होने के बावजूद किसानों के समर्थन में एक दिन का साकेतिक धरना देकर सरकार के विरूद्ध रोष व्यक्त किया है जो कि किसान–काश्तकार के कल्याण के लिये दीनबंधु छोटूराम के प्रयासों की याद दिलाता है। राष्ट्र के अनेको बुद्धिजीवों व वरिष्ठ खिलाड़ियों ने रोष स्वरूप अपने सम्मान पदक सरकार को वापिस कर दिये। हरियाणा में भी हर जगहों पर विधायको व मंत्रियों का विरोध किया जा रहा है और करनाल में मुख्यमंत्री को जन सभा तक नहीं करने दी गई। राजस्थान के हनुमानगढ़ से सांसद श्री हनुमान बेनिवाल ने भी एन.डी.ए. से नाता तोड़ने का मन बना लिया है और किसान संघर्ष में खुलकर शामिल होने की घोषणा कर दी।

लेखक के विचार में इसका मुख्य कारण यह है कि उपरोक्त तीनों कानून सरकार द्वारा बहुमत का फायदा उठाकर ध्वनिमत से पास किये गये। इनके विषय में संसद में ना तो कोई बहस हुई है और ना ही हाथ उठाकर सांसदों की राय जानकर गिनती की गई है। इन कानूनों से जल्दबाजी में न केवल किसान काश्तकार की भावनाओं को कुचल दिया गया बल्कि प्रजातांत्रिक प्रणाली के पतन में एक और कानून पास कर दिया। ये बिल चयन समिति में विचार के लिये भेजे जाने जरूरी थे।

शेष पेज–2 पर

जाट लहर पाठकों को नये वर्ष 2021 की हार्दिक शुभ कामनाएं।

शेष पेज–1

तत्पश्चात् इन कानूनों की कार्यप्रणाली के अच्छे–बुरे परिणाम के आंकलन हेतू कुछेक राज्यों में इनको प्रयोग के तहत लागू करना था। इसके बाद केन्द्रिय सरकार व शासक दल को देश की 80 प्रतिशत जनता को उपरोक्त कानूनों की लाभ हानि से अवगत करवा कर जनता जनार्दन का विश्वास हासिल करना जरूरी था जिससे ना तो जनआक्रोश पैदा होता और ना ही सार्वजनिक नुकसान होता। आंकड़ों के अनुसार 15वी लोकसभा यानि वर्ष 2009–2014 में 71 प्रतिशत बिल चयन समिति को भेजे गये, तत्पश्चात् 16वीं लोकसभा में वर्ष 2014–19 के दौरान 25 प्रतिशत और वर्ष 2019 मे केवल 17 बिल चयन समिति को विचार के लिये भेजे गये। जबकि वर्ष 2020 के दौरान इस लेख के लिखे जाने तक एक भी बिल चयन समिति के विचार हेतू नहीं भेजा गया। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि केन्द्रिय सरकार का संसदीय प्रणाली से विश्वास उठता जा रहा है और इसको जन भावनाओं के सम्मान/विश्वास की परवाह नहीं है।

स्व० लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधान मंत्री हुये है जिन्होंने किसान–काश्तकार की भूमिका को पहचाना तथा सैनिक और किसान के सम्मान व स्वाभिमान के लिये जय जवान, जय किसान का नारा लगाया। वर्षों पूर्व स्व० चौ चरण सिंह ने कृषि मंत्री के तौर पर किसान–काश्तकार के भविष्य/अस्तित्व के बचाव के लिये सचेत करते हुये कहा था कि अगर किसान के दो बेटे है तो केवल एक खेती करे और दूसरा शहर जाकर दूसरा धंधा करें। इसी प्रकार दीनबंधु चौ० छोटूराम ने किसान–काश्तकार को अपने हक व सम्मान के लिये जागरूक करते हुये आहवान किया कि "जिस खेत में म्यसर ना हो दहकां की रोटी, उस खेत की गोसा–ए–गंदम को जला दो"। स्व० जननायक ताऊ देवीलाल ने भी जनता को न्यायप्रिय व निष्पक्ष प्रशासन उपलब्ध कराने के लिये सरकार को सचेत करने के लिये "लोकराज लोकलाज से चलता है" का नारा दिया था, लेकिन अफसोस है कि सरकार किसान के सम्मान की परवाह किये बगैर उनकी न्यायोचित मांगों को दबाने के प्रयास में लगी है। किसान वास्तव में अन्नदाता है और स्वयं कम में संतुष्ट होकर राष्ट्र की शान व आन–बान में लगा है जबकि समाज का हर वर्ग यथा संभव जुगाड़ करके आगे निकल चुका है। इसलिये अन्नदाता पर यह कहावत सही कहीं गई है – "सारा देश तरक्की कर गया, लड़ के और झगड़ के, अन्नदाता तेरा हाल देख के मेरा कलेजा धड़के"

सरकार लगातार बातचीत का निमन्त्रण देकर किसानों को भटका रही है और छ दौर की वार्ता के बाद भी किसान समस्याओं का हल नहीं हो पाया। सरकार उल्टे विपक्षी दलों व किसान संगठनों से राजनैतिक दलो के संबधों को इसके लिये उत्तरदायी मानकर अपनी नैतिक जिम्मदारी से बचना चाहती है। वास्तव में सरकार की मंसा साफ नहीं है और बातचीत में कानून के फायदे गिनाने में लगी है जबकि किसानों की स्पष्ट मांग है कि इन किसान विरोधी कानूनों को तुरन्त रद्द किया जायें।

प्रश्न यह है कि अगर ये कृषि कानून वास्तव में किसान हित में है और इन से किसान व कृषि व्यवस्था को कोई खतरा नहीं है तो सरकार द्वारा किसान संगठनों, कृषि विशेषज्ञों व विपक्षी दलों को सुने बगैर जल्दबाजी में क्यों पास किया गया। विपक्षी दलो को अपने विचार रखने का अवसर दिये बिना 'कवचन अवर' क्यों स्थापित किया गया। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने का मिथ्या कलेम कर रही है। क्या सरकार गारंटी देगी कि अगर व्यापारी निर्धारित मूल्य किसान को नहीं देता तो सरकार इसकी खरीद करेंगी, व्यापारी को सरकार वाध्य कैसे करेगी। इस विषय में सरकार की मंसा साफ नहीं है और बहुमत के आधार पर इन कानूनों को पास कर दिया गया और सार्वजनिक विरोध के बावजूद भी इनको रद्द नहीं किया जा रहा जोकि सरकार के एकाधिकार को दर्शाता है लेकिन किसानों का हौंसला बरकरार है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंच रहे है। आज का किसान शिक्षित व तकनीकी ज्ञान रखता है। उसको अच्छी तरह पता है कि सरकार इन कानूनों द्वारा किसानी को खत्म करके कृषि क्षेत्र को व्यापारिक घरानों के अधिन करना चाहती है और इनको अपनी जमीन औद्योगिक घरानों द्वारा छिनी जाने का अन्देशा है। इन कानूनों के तहत सरकार द्वारा किसान को बिचोलियों से बचाकर उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने का दावा किया जा रहा है। इसमें सशंय पैदा होता है क्योंकि शुल्क से मुक्त होने के कारण व्यापारियों और कम्पनियों को स्वाभाविक रूप से मण्डी से बाहर खरीददारी का मौका मिलेगा जिससे मंडी का महत्व खत्म होगा। ऐसे में कम्पनियां किसानों का शोषण कर सकती है। इसलिये किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के साथ समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खरीद गैर कानूनी घोषित किया जाना जरूरी है।

किसान वास्तव में स्वामिनाथन रिपोर्ट को लागू करवाना व एम.एस.पी को कानून बनाकर लागू करने की गांरटी चाहता है जो सरकार करना नहीं चाहती। 23 मुख्य फसलों में केवल गेहू व धान पर एम.एस.पी लागू है और इस से भी केवल 6 प्रतिशत किसानों को फायदा होता है। किसानों ने अपना मांग पत्र पूरे वर्ग के साथ सरकार को सौंप दिया है जिसमें एम.एस.पी. जोकि कृषि लागतों के अनुसार बहुत कम है, इसको हर साल उपज की लागत के अनुसार बढ़ाया जाना चाहियें और वर्ष 2006 से लम्बित डाक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाना चाहिये। प्रधान मंत्री महोदय जनता को मन की बात सुनाते रहे है और अब वक्त की नाजूकता को देखते हुये उनको अन्नदाता–किसान के मन की बात समझ लेनी चाहियें। जब गैर उद्योगिक उत्पादको को कम्पनियां स्वयं द्वारा निर्धारित कीमत अधिकतम खूदरा कीमत (एम.आर.पी) पर बेचती है जो उत्पादन लागत से कहीं ज्यादा होती है तो किसान को भी कम से कम अपनी लागत पर

आधारित एम.एस.पी. पर अपना माल बेचने की सुविधा होनी चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की उपज विशेष कर गेहूं धान जैसी मुख्य फसलों के लिये अतिउपयोगी है जो कि वर्ष 1960 से लागू है। इसलिये सरकार को फसल वर्गीकरण को बढ़ावा देने के साथ कृषि कानूनों में लिखित तौर से प्रावधान करना चाहिए कि सरकारी अथवा निजी किसी भी संस्था द्वारा किसान की फसल एमएसपी पर खरीदी जायेगी।

किसान को आंशका है कि सरकारी फसल की खरीद बंद कर दी जाएगी तथा उद्योगिक धरानों को खुली छूट दे दी जाएगी। यह किसी को भी मान्य नहीं होगी। जबकि सरकार का पक्ष है कि वे मण्डी के बाहर सीधा उपभोक्ता या आज के विकसित माध्यम जरूरतमन्द राज्यों को ऑन लाईन बेच सकते है। इसमें मण्डी में लगती फीस भी किसान को अदा करने की जरूरत नहीं होगी। किसानो को बिजली और खाद पर मिलने वाली सब्सिड़ी से वंचित क्यों किया जा रहा है तथा उन्हें बताया जा रहा है कि यह बाद में दी जाएगी। क्योंकि पौलीहाऊस इत्यादि पर मिलने वाली सब्सिडी सैंकड़ों किसानों को अदा ही नहीं की गई।

सरकार आढ़तियों को क्यों हटा रही है जब कि किसान और आढ़ती का नाखून–मांस का रिश्ता है। शादी, बीमारी, सूखा–बाढ़, जन्ममरण पर आढ़ती ही किसान के काम आता है। क्योंकि किसान को सरकार या बैंकों से ऐसा ऋण मिलता नहीं है। यह सदियों का रिश्ता तोड़ा ना जाए। इससे मण्डी सिस्टम भी समाप्त हो जाएगें। सरकार का पक्ष है कि विधेयक सोच–समझ कर ही पारित करवाएं गए हैं इससे छोटे किसान अधिक लाभाविन्त होंगे। परन्तु यह न होकर लाखों लोग मण्डियों में कार्यरत्त है वो बेरोजगार हो जायेंगे।

सरकार ने बिजली सब्सिडी सीधे खातों में ट्रासफर का प्रस्ताव किया जिसका पावर इंजीनियर्स एसोसियेशन ने विरोध किया था क्योंकि यह प्रस्ताव डायरेक्त बेनिफिट ट्रांसफर राशि किसानों को मुफ्त बिजली सब्सिडी छीनने के लिए है। इससे किसानों को भारी आर्थिक परेशानी होगी। क्योंकि उन्हें डिस्काम को बिजली बिलों का भुगतान करना होगा। आर्थिक सुधारों के नाम पर कृषि कानूनों को लागू करने के कदम से वास्तव में कारपोरेट को व्यापारिक लाभ मिलेगा और उन किसानों को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया जाएगा, जो खाद्यान्न आदि विपणन से देय राजस्व से वंचित हो जाएगें। केन्द्रिय नीति से कॉरपोरेट को लाभ पहुचाने से कृषि कार्यकलाप नष्ट होंगे, बल्कि राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा से भी समझौता होगा। अतः सरकार किसान की बात सुने – उचित समाधान निकल आएगें, आज भी सर छोटू राम के बंशज पुन रेल पटरी पर ला देंगे और खेती समान्य हो जाएगी। "अमीर को तिजोरी–अन्नदाता से सीनाजोरी" सम्भव नहीं है। क्योंकि किसान की कोई जाति–पाति–धर्म–मजहब का बंधन नहीं है। सबसे बड़े समाजबद्ध का घोतक किसान ही नहीं है। खेत में आई रोटी सबके लिए समान – एक ही मेज पर बैठकर खाई जाती है। किसान भिखारी नही है – उसे इज्जत पर मान है, खेत में गया कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं आता फिर वो इन्सान हो, जानवर या पशु। गुरू नानक देव जी ने 12 वर्ष तक करतारपुर में स्वयं हल जोता और खेती की थी तथा "किरत करना–नाम जपना–वंड छकना" प्रथा चलाई – आज भी लंगर प्रथा लाखों के पेट भर रही है। किसान की मात्र इतनी मांग है कि जमाखोरी पर अकुंश लगे, किसान और उपभोगता दोनों को उचित दाम पर सब कुछ उपलब्ध हो, अनाज की कमी किसान अपनी मेहनत से पूरी ही नहीं अपितु निर्यात हेतू भी पैदा करके देता है। केन्द्र सरकार के ही आंकड़े है कि आगामी तीन वर्ष तक के लिये गेहूं–चावल और मक्का का भण्डारण उपलब्ध है, ऐसे में व्यापारी कभी भी किसान को उचित दाम नहीं देगा, औने–पौने पर ही खरीदेगा। अभी भी किसान से ली फसल बाजार में 10 गुना दाम पर बेची जाती है क्योंकि मुनाफाखोरी पर अंकुश नहीं है। आलू किसान पैदाकर सड़कों पर गिराने को मजबूर हो जाता है लेकिन उसी आलू को मात्र दो रुपये किलो खरीद, उपभोगता को 20 रुपये किलो या उसके उत्पाद 300 रुपये किलो तक बेचे जाते हैं। ऐसे में सरकार से यही मांग है कि "न्यूनतम खरीद कीमत" अक्षरतयः लागू हो और ना मानने पर सजा का प्रावधान हो तथा मुनाफाखोरी पर अंकुश लगे। अगर यह कार्य पूर्व सरकारो ने नही किया तो सुधारा जा सकता है, उनकी करनी का फल जनता जनार्दन दे चुकी है।

जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला ने आन्दोलनकारी किसानों को समर्थन के साथ–साथ आर्थिक सहयोग, खाद्य सामग्री, गर्मवस्त्र इत्यादि देने का आश्वासन दिया तथा जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने तौर पर सरकार पर दबाव बनाकर किसान समस्याओं का तुरन्त समाधान निकलवाने का प्रयास करें। जल्दबाजी में पारित किए गए उन बिलो से कृषि व्यवस्था बर्बाद हा जाएगी। किसान की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा हेतू तीनों बिलों को रद्द किया जाए। इस प्रकार के तीन बिल, दो आबारी एक्ट, पंजाब लैंड कोलोनाईजेश्न एक्ट तथा लैड एलीनेशन एक्ट वर्ष1907 में बिट्रिश सरकार द्वारा पारित किए गए थे। इन्हें भारी जन आक्रोश के कारण रद्द करना पड़ा था। आज भी परिस्थितियां ऐसी ही है। 1976–77 में स्व. श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए जन आंदोलन व्यापक जन आंदोलन बने। मौजूदा आंदोलन भी वही जन आदोंलन बन चुका है तथा 1907 में शहीदे–आजम भगत सिंह के "पगड़ी सम्भाल ओ जट्टा" की यादों से अन्नदाता के आदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है। सर छोटूराम ने कहा था :–"गरीब को मत सता रो देगा, सुनेगा उसकी परमात्मा जड़मूल से खो देगा"

सरकार की किसान विरोधी नीतियों से किसान वर्ग लगातार पिछड़ रहा है। कृषि क्षेत्र मूलभूत सुविधाएं जैसे खाद–बीज, उचित दाम, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की अनिश्चितता से किसान की आर्थिक स्थिति बद्तर होती जा रही है। क्योंकि किसान एकजुट नहीं है और ना ही इनका कोई पैरोकर। हरियाणा जैसे छोटे से

अमृत और मृत्यु दोनों ही इस शरीर में स्थित हैं। मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता है। –वेद व्यास

राज्य में आज भी 5 लाख 97 हजार 464 किसान 371 करोड़ रुपये के कर्जदार हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार हर वर्ष 1200 किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे है। किसान को मिलने वाले खाद–बीज, कीटनाशकों का मानदण्ड तथा कीमतें तयः ना होने के कारण कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। किसान को ऐसे कीटनाशक दिए जा रहे है जो अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबन्धित हैं जिसका उपज पर असर तो है ही अर्न्तराष्ट्रीय मानकों पर गुणवता ना होने से निर्यात के काबिल भी नहीं है। अतः ऐसे अनेको सरकारी पग किसान की आमदनी 2022 तक दुगुनी करने के दावें की सच्चाई से कोसों दूर है तथा सरकार की कथनी और करनी में भारी अन्तर है।

वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री ने सत्ताहीन होते ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने, कर्ज माफी, काला धन विदेश से वापिसी, सालाना दो करोड़ रोजगार इत्यादि वायदे किए थे, लेकिन परिणाम वहीं। तीनों बिलों में प्रावधान में कान्ट्रैक्ट फारमिंग व्यापारी के पक्ष में हैं कीमते बढ़ गई तो सारा माल खरीदेगा, पैदावार कम होने पर पैनल्टी भी लगेगी, अधिक उत्पाद या कीमतें कम हो गई तो खरीद की मनाही। यानि "चित भी मेरी–पटट भी मेरी" इसकी शिकायत (एसडीएम) के पास दर्ज की जा सकेगी लेकिन एक सरकारी अधिकारी सरकार के खिलाफ तो जा नहीं सकता।

इस अवधि में कृषि यंन्त्रों, डीजल, दवाईयों, खाद, खेती उपकरणों की कीमतें अवश्य दोगुनी हो गई है। घोषित फसल बीमा योजना का लाभ भी किसान को ना होकर बीमा कम्पनियों को ही हो रहा है। वे किसान से किश्त तो पूरी वसूलते हैं लेकिन किसी आपदा में अक्सर बैंक और बीमा कम्पनियां किसान को ही परेशान कर देती हैं, क्लेम नाममात्र उस पर भी आनाकानी ही किसान की झोली में आती है।

वर्ष 1955 में पारित जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने हेतू बने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर खाद्य दालें, तिलहन, आलू, प्याज दायरे से बाहर निकाल उपभोगता के हितों पर आघात किया है। इससे भंडारण व कीमतों पर अंकुश दूर की कौड़ी है। अनुबंध खेती भी व्यापारी के पक्ष में है, क्योंकि इसके कई बिन्दुओं में चुप्पी से किसान को ठेंगा ही मिलेगा अपितु असंगठित बाजार से बिचोलियों से मुक्त करवाना और भी कठिन होगा। मंडी व्यवस्था बंद करने का दुष्परिणाम पंजाब, हरियाणा व यू.पी. जैसे कृषि प्रधान प्रदेशों पर ज्यादा होगा। बिहार व उड़ीसा आदि राज्यों में मंडी के बाहर प्राईवेट एजेंसियों द्वारा खरीदारी पहले ही विफल हो चुकी है और किसान वर्ग भूखमरी के कगार पर हैं।

किसानों के कृषि उत्पाद की मार्किट व्यवस्था की कार्यक्षमता को बरकरार रखना आवश्यक है जिसके लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा पब्लिक वितरण सिस्टम के साथ–साथ कृषि उत्पाद मार्केट की स्थापना के लिए कमर्शियल खरीद करना जरूरी है और खाद्यान्नों की व्यवसायिक संचालन के लिए नया राष्ट्रीय कृषि फूड निर्यात उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार द्वारा कृषि कानूनों के विरूद्ध लगातार बढ़ रहे रोष स्वरूप किसानों के आंदोलन का शांतिपूर्ण व कानूनी दायरे में किसान संगठनों के साथ शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। किसानों, मजदूरों व व्यापारियों के शांतिपूर्वक व अधिकारिक विरोध को बलपूर्वक व दमनकारी कार्यवाही से दबाना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। किसान–मजदूर राष्ट्र के विकास के मुख्य सतंभ हैं और सरकार की किसान विरोधी नीतियों से किसान वर्ग की पहले से ही हालत दयनीय है जिससे उभारना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। विवादित कृषि कानूनों में संशोधन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गांरटी देनी होगी। इसके इलावा किसानों की एक न्यूनतम आय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। किसानों के लिए न्यायोचित व लाभप्रद समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर किसान को सीधे उपभोक्ता से जोड़ने के प्रयास करने होगे। किसान के खेत में कटाई के लिए तैयार/पकी हुई फसल के आग लगने, बाढ़ ओलावृष्टि आदि किसी भी प्राकृतिक कारण से हुई हानि पर सरकार द्वारा तुरंत मुआवजा दिए जाने व नुकसान की भरपाई करने का प्रावधान होना चाहिए। जैविक, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर एक टिकाऊ खेती के बारे में सोचना होगा और खेती के लिए उपयुक्त बीज, खाद, पेस्टिसाइड आदि तथा अन्य नवीन तकनीकियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्राकृतिक आपदा से किसानी फसल के नुकसान के मुआवजे, पशुधन की हानि आदि की भरपाई के लिए स्थाई कृषि नीति बनाकर किसान आपदा कोष स्थापित किया जाए। किसान खेत स्कूल विकसित कर प्रभावी कृषि विस्तार सेवाओं को किसान तक पहुंचाना होगा और लघु, सीमांत व किराए पर जमीन से लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए भी बैकों से आसान कर्ज उपलब्ध करवाने की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर मौसम आधारित पूर्वानुमान जानकारियां, उपयोग करने लायक कृषि सलाह, जलवायु अनुकूलन बीज आदि किसानों तक पहुंचाने के बारे में पहल करनी होगी। लेखक ने हरियाणा प्रदेश व कृषि प्रधान प्रदेशों के सभी जन प्रतिनिधियों–विधायकों, सांसदों व राष्ट्र के सभी सांसदों से अपील की है कि वे अन्नदाता–किसान के हितों के लिए अपना त्यागपत्र देकर आंदोलनरत किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए केंद्रीय सरकार पर दबाव बनाएं ताकि जवान–किसान के सम्मान, स्वाभिमान व अस्तीत्व के लिए जय जवान–जय किसान के नारे को बरकरार रखते हुए सरकार को किसानों से शीघ्र शांतिपूर्वक वार्ता करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मजबूर किया जा सके।

डॉ0 महेंद्र सिंह मलिक
आई.पी.एस. (सेवा निवृत)
पूर्व मेजर (1971 भारत-पाक युद्ध के योद्धा),
पूर्व पुलिस महानिदेशक हरियाणा, एक किसान व
प्रधान अखिल भारतीय शहीद सम्मान संघर्ष समिति ।

मनुष्य की बुराइयां दीर्गजीवी और अच्छाइयां अल्पायु होती हैं। –शेक्सपीयर

'चौटाला परिवार के एक होने से ही बढ़ सकती है इनैलो की ताकत

– डॉ० महेन्द्र सिंह मलिक

किसान इनैलो संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी हैं आधे से ज्यादा किसान जजपा के साथ जुड़ गए। इनैलों की सबसे बड़ी कमजोरी चौटाला परिवार का आपस में टूटना है। चौटाला परिवार के कई विधायक अलग–अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर पूरा चौंटाला परिवार एक हो जाए तो इनैलो की ताकत बढ़ेगी और वो समय दूर नहीं जब भाजपा और कांग्रेस को करारी मात खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जजपा के भाजपा के साथ जुड़ने के बाद बहुत से किसान और युवा नेता जजपा से नाराज हो गए हैं और अब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही नहीं, बल्कि 40 के करीब विधायकों पर कृषि कानून की वजह से दबाव बन रहा है और दुष्यंत चौटाला यह दबाव ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएंगे। यह कहना है हरियाणा के पूर्व डी.जी.पी. और इंडियन नैशनल लोकदल के नेता डॉ० मोहिंदर सिंह मलिक का। उनसे 'पंजाब केसरी' की अर्चना सेठी ने विशेष बातचीत की।

सवाल : किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं। आपका क्या मानना है कि यह आन्दोलन कब तक चलेगा?

जवाब : देश की 70 फीसदी जनता किसान या किसानी संबंधित है। आंदोलन की शुरूआत बेसक पंजाब के किसानों से हुई थी, परन्तु आज यह जनआंदोलन बन चुका है। वर्ष 1937 में महात्मा गांधी ने बिहार में इस किस्म के आंदोलन की शुरूआत कर अंग्रेजों का तख्ता पलट दिया था। ये कानून किसानों के हक में नहीं हैं। फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को खतरे में देखते हुए किसान कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आम जनता भी किसानों का साथ दे रही है।

सवाल : ओम प्रकाश चौटाला जैसे दिग्गज नेताओं के बावजूद इनैलों संगठन कमजोर पड़ता जा रहा हैं, संगठन को सशक्त करने के लिए क्या नीतियां अपनाई जाएंगी?

जवाब : किसान इनैलो संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी है। आधे से ज्यादा किसान जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। इनैलो की सबसे बड़ी कमजोरी चौटाला परिवार के कई विधायक अलग–अलग तरीके से आगे बढ़ रहे है। अगर पूरा चौटाला परिवार एक हो जाए तो इनेलों की ताकत बढ़ेगी और वो समय दूर नहीं जब भाजपा और कांग्रेस को करारी मात खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भाजपा के साथ जुड़ने के बाद बहुत से किसान और युवा नेता जजपा से नाराज हो गए है और अब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही नहीं बल्कि करीब 40 विधायकों पर कृषि कानून की वजह से दबाव बन रहा है और दुष्यंत चौटाला यह दबाव ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाएंगें।

सवाल : भाजपा और जजपा के गठबंधन को आप किस तरह से देखते है और कार्यकाल का आंकलन किस तरह से करते हैं?

जवाब : हरियाणा में मौकापरस्ती की राजनीति चल रही है। जजपा ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने भविष्य को चमकाने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। जनता इस गठबंधन से खुश नहीं है। जिन लोगों ने भाजपा से परेशान होकर दुष्यंत चौटाला को वोट दिये थे, वे आज नाराज है। गठबंधन सरकार में आज बेरोजगारी की दर 28. 5 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24.5 प्रतिशत है। जब युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी और बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। बेरोजगारी के कारण लड़कों की शादियां नहीं होगी। तो जनता को खुश तो नहीं कहा जाएगा। नई फैक्टरियां नहीं लग रही। घोटाले हो रहे हैं।

सवाल : हरियाणा में अपराध के तरीके में क्या बदलाव आए हैं?

जवाब : प्रदेश में अपराध की दर बढ़ रही है। महिलाओं और दलितों को अपराध का ग्रास बनना पड़ रहा है। बेरोजगारी की वजह से ऐसे हालात हैं। अब पुलिस विभाग में भी सुधारों की जरूरत है, क्योंकि नफरी कम हैं, 700 लोगों पर एक सिपाही है। राजनीतिक स्टंट के चलते महिला थाने खोले तो जरूर गए, लेकिन वहां महिला स्टाफ पूरा नहीं हैं, संसाधन और तकनीकी सुविधाओं का अभाव है। महिला पुलिस स्टेशन में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में है, क्योंकि एक जिले में महिला थाना बहुत दुरी पर है, महिलाएं इतनी दुरी तय कर पहुंचती नहीं हैं। दुख की बात तो यह भी है कि सिपाही की भर्ती के समय उसकी पुलिस विभाग में काम की रूचि का आंकलन ही नहीं किया जाता। पी.एच.डी. एम.एस.सी के छात्र को पुलिस विभाग में नौकरी दे दी जाती है।

सवाल : बतौर डी.जी.पी आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था ?

जवाब : मैंने बतौर डी.जी.पी. तो किसी प्रैशर को नहीं झेला लेकिन पुलिस विभाग पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा

विचार का चिराग बुझ जाने पर आचार अंधा हो जाता है। –बिनोवा भावे

है। पुलिस को कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं। मां–बाप के झगड़े से लेकर हत्या के मामलों को सुलझाने वाली पुलिस को वी.आई.पी. डयूटी भी निभानी पड़ रही है। आपदाकाल में भी पुलिस को 24/7 काम करना पड़ रहा है। चौंबीस घंटे काम करने वाली पुलिस को नॉन स्किल वर्कर्स मानकर वेतन भी सबसे कम दिया जाता है। पुलिस को पदोन्नति के भी ज्यादा मौके नहीं मिलते। पांच साल की नौकरी के बाद कई कोर्स करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से पुलिस कर्मचारी का धीरे–धीरे नैतिक पतन शुरू हो जाता है।

सवाल : जब आप आर्मी से जुड़े थे, आपने कई कंमाड़ो ओप्रेशंस सफलता के साथ किए थे। कैसे अनुभव रहे ?

जवाब : आर्मी के साथ जुड़े रहते हुए कई कमांड़ो आप्रेशंस को सफलता के साथ निभाया। 70 के दशक में मिजो हिल्स पर मिजोरम के आतंकवादी कैप्टन लाल थकीमा और उसके आतंकवादी गिरोह को (एडजुटैन्ट) सैनिक पदाधिकारी के तौर पर पकड़ने में जो सफलता हासिल की थी, उसका एक एक क्षण आज भी याद है मुझे। एक गुप्त सूचना के आधार पर आधी रात के समय 35 सैनिकों के साथ पूरे गिरोह को काबू करना चुनौतियों से भरा था। इस कार्य के लिए आर्मी ने शौर्य चक्र की सिफारिश की थी, परन्तु सरकार से सिर्फ प्रशंसा पत्र ही मिला। उस ऑप्रेशन की वजह से मिजोरम के 80 फीसदी आंतकवादियों का सफाया हो गया था। उन आतंकवादियों ने लूटपाट, खून–खराबे से लोगों को परेशान कर रखा था।

Tributes to the Great Jat Souls

- Suraj Bhan Dahiya

Both British and nationalist Indian historians have, for different reasons, failed to emphasis the simple, clear and unambiguous fact of 1857 uprising - that it was centred overwhelmingly in Delhi. I would argue that the centrality of 1857 the largest uprising in any European empire was Raja Nahar Singh of Ballabgarh was a Khap King who never missed to attend the Khap deliberation and he called the uprising as the movement of the people which promises to offer a new perspective on our past.

Now a new "Living History" has been forged in the thousands of NCR Jat families who had fought to create what their dynamic & commander Raja Nahar Singh had called 'a new birth of freedom' to ensure their self rule-. The son soldiers and their peasant parents marching down from Meerut to Lalkila of Delhi, that summer day of May 10, 1857 knew they had accomplished some thing that would change their lives and their mother land forever.

The freedom on this occasion couldn't be achieved as some desi princely states sided with the British. The British re-established their rule over the Delhi area in nearly three months and started reprisals against the local heroes. Many villages were razed to the ground. Thousands of villagers were crushed under the road rollers on the roads. The British could not tame Raja Nahar Singh and he was invited for a treaty and captured. He was hanged in Chandni Chowk on 9th January, 1858. Who lastly said, :Let the freedom spark be not extinguished"

Best tribute to this 19th Century valiant Raja is to restore his place in the history. I find that after nearly two centuries in the uniquely Jat history Raja Nahar Singh has unequalled power to captivate the imagination and to inspire emotion. Let us enlarge the scope of history - 1857 uprising is the history of people who in their collective acts stood boldly with Raja Nahar Singh to write new history of India. It is likely to be the Illuminating peasant history which has not been attempted so far.

Entering into 20th Century and furthering the scope of the peasant history, we come across a personality of Ch. Chhotu Ram, revered as the Kisan Messiah. His words resonate beyond ages, beyond historical and political contexts for here was a Kisan leader who was born to serve the down trodden and exploited. He was very disturbed when he understood the innumerable a gonies of hapless peasantry. In his introspection he felt:- "The list of the peasant's grievances is long his woes are unending. The unkindness of God atrocities of the society, natural calamities of the moneylenders, the indifference of the pleasure-speaking government officers inaction of him leaders, and ultimately, his own ignorance and foolhardiness are some of those carries that do not permit the coming to an end of his misfortune ruin and household ignore every moment his mind, pierced answer, continues to reach the state of discouragement. No body is prepared to listen to his entreaties, no body is prepared to land his ears to his offer my life to rescue the peasantry from infinite flight"

From Rohtak, Chhotu Ram began his mission 'agrarian rising' in 1912. His heart burned with rage

and he poured out his anger in his strongly worded articles, exposing the exploitation of peasantry. He started addressing the masses eloquently with an assurance that the anndata shall not be the bonded labour of money lender rather he shall rule in the Punjab. The dominant feature of Chhotu Ram's relentless struggle for economic liberation of peasantry in the undivided punjab was its near total sweep. Hardly any other movement in the history of province set in motion so many millions of people, even though they represented diverse religious affiliation. This is no idle boast, but the plain statement of a historical reality, so conveniently and consistently ignored by our historians and political analyst alike.

In 1930 his unionist party be garito run the Punjab Government. Ch. Chhotu Ram remained unruffled and much to the rejoicing of his supporters and to the displeasure of his detractors, he alone wrote new testament of peasant's destiny. He had amply justified the various epithets his countless admirers had affectionately showered on him such as 'Rehbar-e-Azam', Deenbandhu Chhotu Ram' etc. Nothing remained unaccomplished when he breathed his last on 9th January, 1945. Sadly no leader after his death could protect the interests of farmers. Chhotu Ram, thou shouldst be living at this hour. The peasanthath need of thee.

शौर्य दिवस और हरियाणा के वीरों का योगदान

– डॉ० एल.एस. यादव

वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल इस विजय की यह 50वीं वर्षगांठ है। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी सेना के योद्धाओं के साथ मिलकर पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। यह युद्ध भारत के लिए आज भी ऐतिहासिक है। इस लड़ाई में 93000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस संग्राम में पाकिस्तान को मिली करारी शिकस्त के बाद पूर्वी पाकिस्तान को आजादी प्राप्त हुई और एक नया स्वतन्त्र बांग्लादेश बना। वर्ष 1971 की इस लड़ाई में लगभग 3900 भारतीय जवान शहीद हुए थे और लगभग 9851 सैनिक घायल हो गये थे। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों ने अपना सर्वस्व बलिदान करके बांग्लादेश को आजाद करवाया था। इसके अलावा 1971 के उस दौर में लगभग एक करोड़ बांग्लादेशियों को भारत ने शरण दी थी।

इस युद्ध में जनरल सैम मानेक शा और लेटिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में रणनीतिक कदमों ने मात्र 13 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। इस लड़ाई में मेजर होशियार सिंह ने भी अपने जज्बे से पाक सेना को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए जरवाल का मोर्चा फतह किया था। लेटिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता भी कम नहीं थी और वे परमवीर चक्र पाने वाले भारतीय जांबाजों में से एक थे। उन्हें यह सम्मान मरणोपरान्त प्राप्त हुआ था। तत्कालीन बिहार (अब झारखंड) निवासी लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी बटालियन के सैनिकों की रक्षा की थी। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनकी बहादुरी पर सरकार ने उन्हें मरणोपरान्त परमवीर चक्र से सम्मानित किया था।

इस लड़ाई में चार सगे भाई विभिन्न मोर्चों पर लड़ते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाने में आगे रहे थे। ये भाई हरियाणा प्रांत के रेवाड़ी जिले के गांव जाटूसाना के थे। इनमें सबसे बड़े भाई नायब सूबेदार रामचन्द्र यादव उस समय भारतीय सेना की 78 मीडियम रेजीमेंट में थे। यह रेजीमेंट राजस्थान के अलवर से सिलीगुड़ी होते हुए बांग्लादेश की सीमा पर पहुंचकर अपना यौद्धिक योगदान देने में सफल रही थी। इनके दूसरे भाई सूबेदार सोहन लाल ने इसी रेजीमेंट में एजुकेशन जेसीओ के पद पर रहते हुए अपना योगदान दिया था। कर्नल शंभू दयाल नामक तीसरे भाई उस समय कालूचक में 47 एयर डिफेंस रेजीमेंट में कैप्टन के पद तैनात थे और उन्होंने पाकिस्तानी जहाजों की हालत खराब कर दी थी। भारतीय सेना की ईएमई कोर में आरमोरर के पद पर तैनात इनके चौथे भाई सूबेदार मेजर श्योताज सिंह ने मुक्ति वाहिनी के जांबाजों के हथियारों की मरम्मत करके उन्हें विशेष सहयोग प्रदान किया था।

इस युद्ध के प्रमुख कारणों पर भी एक नजर डालना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उस समय पूर्वी पाकिस्तान की जो हालत कर दी गई थी कुछ उसी तरह की स्थितियां पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज भी विद्यमान हैं। उस समय पूर्वी पाकिस्तान की आबादी सात करोड़ तथा पश्चिमी पाकिस्तान की आबादी लगभग छह करोड़ थी। जनसंख्या की अधिकता के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान की जनता का शोषण किया जा रहा था। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही वहां की केन्द्रीय सेवाओं, तीनों सेनाओं, उद्योग धन्धों के विकास के मामलों एवं अन्य विशेष क्षेत्रों में पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को तकरीबन 60 से 90 प्रतिशत की भागीदारी हासिल हो रही थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों

हम हमेशा कठिनाई के स्थान पर आसानी की ओर आकृष्ट होते हैं। जबकि कठिनाई से वही निपट लेना श्रेष्ठ होता है। –अज्ञात

को 10 से 40 प्रतिशत के बीच ही संतोष करना पड़ रहा था। इस कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। पाकिस्तान में वर्ष 1970 का आम चुनाव पूर्वी पाकिस्तान के लिए काफी अहम साबित हुआ। शोषण का ही परिणाम था कि इस चुनाव में वहां की राष्ट्रीय विधानसभा की 300 में 160 सीटों पर पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर्रहमान की पार्टी आवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की।

शेख मुजीबुर्रहमान की यह जीत पाकिस्तान के सैन्य शासन को गंवारा नहीं हुई। वे नहीं चाहते थे कि मुजीबुर्रहमान रहमान उन पर शासन करें। इस कारण मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने वहां जुल्म ढाने शुरू कर दिए। इसी बीच वहां पर आजादी हासिल करने हेतु कर्नल उस्मानी के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ। इस क्रान्ति को दबाने के लिए लेटिनेंट टिक्का खां ने उन पर 25 मार्च की रात्रि में भयंकर आक्रमण कर जनसंहार किया और शेख मुजीबुर्रहमान को गिरतार कर लिया गया। यह जनसंहार लगभग 30 मार्च तक जारी रहा जिससे स्थिति और बिगड़ गई। इसके बाद 31 मार्च को भारतीय संसद ने सरकार से यह मांग की कि पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों के मानवीय मूल्यों की रक्षा की जाए। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से मुक्ति वाहिनी को मदद करने की घोषणा की गई और भारतीय सेना ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। इस अवधि में पाक व चीन द्वारा कई बार भारत को धमकी भरी चेतावनी दी गई। फलस्वरूप 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम धमकियां भी नहीं देते, परंतु भारत प्रत्येक संकट का सामना करने को तैयार है। इसके बाद दोनों देशों की सैन्य तैयारियां जारी रहीं और 3 दिसंबर 1971 को सायं पौने छह बजे पाकिस्तान ने उत्तर भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर अचानक हमला करके युद्ध की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय पश्चिम बंगाल में थीं। वे वहां से वापस लौटीं और रात्रि 12 बजे के लगभग पाकिस्तान को मुहंतोड़ जवाब देने का निर्णय लिया गया। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को हर क्षेत्र में पराजित किया। अन्ततः 16 दिसबर को ढाका के रेसकोर्स मैदान में पाकिस्तानी लेटिनेंट जनरल नियाजी ने अपने अलंकरण उतारकर आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल नियाजी के आत्मसमर्पण के बाद पश्चिमी सीमा पर भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध में जिन कारणों से भारत को विजय प्राप्त हुई वे आज भी किसी लड़ाई के लिए अनुकरणीय है। उस समय तीनों सेनाओं का आपसी सहयोग, भारतीय सेनाओं का उच्च मनोबल, आक्रमणात्मक कार्यवाही, अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना, शत्रु को अपनी सामरिक चालों से चकित करना एवं गतिशीलता जैसे यौद्धिक सिदान्तों का विजय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा जनरल मानेक शा का श्रेष्ठ एवं कुशल सैन्य नेतृत्व व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बेहतर राजनीतिक नेतृत्व ने भारत को अभूतपूर्व विजय दिलाई।

धर्म परिवर्तन पर बने कानून और संविधान

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म पवित्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' जारी किया गया है, हरियाणा ने भी इस पर काननू बनाने के लिए एक कमेटी का गठन कर रखा है और जल्द ही ये कानून हरियाणा में भी लाया जा सकता है। देश में कई अन्य राज्यों की सरकारें भी ऐसे ही कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अध्यादेश बल पूर्वक, प्रभाव दिखाकर, प्रलोभन, धोखाधड़ी से या विवाह के उद्देश्य से किये जाने वाले किसी भी धर्मांतरण को प्रतिबंधित करता है, साथ ही इस तरह के विवाह को अवैध घोषित किये जाने का प्रावधान भी करता है। इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्मांतरण को एक गैर–जमानती अपराध माना गया है। हालाँकि इस कानून की यह कहते हुए आलोचना की गई है कि यह किसी व्यक्ति के अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार का उल्लंघन के साथ ही जीवन, स्वायत्तता तथा गोपनीयता के मौलिक अधिकार के खिलाफ भी है। इसके अलावा इस कानून की जड़ें पितृसत्ता और सांप्रदायिकता से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं, जो सामाजिक सौहार्द तथा व्यक्तिगत गरिमा के सम्मान को प्रभावित कर सकती हैं।

इस तरह के कानून के खिलाफ कई तरह की बातें भी उठ रही हैं। कहा जा रहा है ये धर्मनिरपेक्षता के मार्ग में हस्तक्षेप की कोशिश है क्योंकि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को बुनियादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। इसके बावजूद देश के कई राज्यों में लंबे समय से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं, जिनमें ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इसके साथ ही इस कानून को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ भी माना गया है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–25 से 28 तक एक भारतीय नागरिक को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया हालिया अध्यादेश किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के जीवनसाथी का चुनाव करने में हस्तक्षेप कर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विपरीत भी बताया जा रहा हैं क्योंकि शफीन जहां बनाम अशोक केएम (2018) मामले में उच्चतम न्यायालय ने 'अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह के अधिकार' को भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21

कलियुग में रहना है या सतयुग में यह तुम स्वयं चुनो। तुम्हारा युग तुम्हारे पास है। –विनोबा भावे

के तहत प्राप्त अधिकारों का हिस्सा बताया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार, संविधान किसी भी व्यक्ति के अपनी पसंद का जीवन जीने या विचारधारा को अपनाने की क्षमता/स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अतः एक व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद–21 का अभिन्न अंग है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ (2017) मामले का फैसला सुनाते हुए कहा कि वैवाहिक जीवन के चुनाव का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया हालिया अध्यादेश उच्चतम न्यायालय के इन निर्णयों से मेल नहीं खाता क्योंकि यह एक भावी जीवनसाथी के रूप में पसंद करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित करता है, इसके अनुसार किसी महिला/पुरुष का पति/पत्नी केवल वही हो सकता है जो राज्य द्वारा अनुमोदित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी यह धर्मांतरण निषेध अध्यादेश महिला के किसी भी रिश्तेदार को उसके विवाह की वैधता को चुनौती देने की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में प्रमाण का उल्टा असर पड़ेगा जिसके तहत धर्मांतरण और विवाह के लिये महिला के सहमत होने की गवाही की अनदेखी करते हुए धर्मांतरण कराने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि धर्मांतरण के लिये महिला को विवश नहीं किया गया था। यह 'दोषी साबित होने तक निर्दोष समझे जाने के अधिकार' का सीधा उल्लंघन है, अध्यादेश का यह पहलू विशेष रूप से जीवन साथी चुनने के अधिकार का प्रयोग करने वाली महिलाओं के संदर्भ में चिंताजनक है।

इससे पता चलता है कि वर्तमान में भी कानूनों में गहरी पितृसत्तात्मकता की जड़ें विद्यमान हैं, जिसके तहत महिलाओं को परिपक्व नहीं माना जाता और उन्हें माता–पिता तथा सामुदायिक नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता है। यदि उनके जीवन से संबंधित महत्त्वपूर्ण फैसलों पर उनके अभिभावकों की सहमति न हो तो उन्हें अपने जीवन के फैसले लेने के अधिकार से भी वंचित रखा जाता है। ऐतिहासिक रूप से विवाह को महिलाओं की यौनिकता को नियंत्रित करने, जातिगत वंशावली को बढ़ावा देने और महिलाओं को उनकी स्वायत्तता का प्रयोग करने से रोकने हेतु एक माध्यम के रूप में देखा जाता रहा है। इस प्रकार के सांप्रदायिक दुष्प्रचार का महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में कोई योगदान नहीं होता है, बल्कि यह उनकी गतिशीलता, सामाजिक जीवन और पसंद आदि की स्वतंत्रता को कम करता है।

अंतर–धार्मिक और अंतर–जातीय विवाह के प्रति यह गहरा विरोध समुदायों के बीच ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों से उपजा है। इस पूर्वाग्रह को देखते हुए मौलिक अधिकारों पर बनी उप–समिति के कुछ सदस्यों, विशेष रूप से महिला सदस्यों जिनमें राजकुमारी अमृत कौर और हंसा जीवराज मेहता भी शामिल हैं , ने अंतर–जातीय विवाह को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने मांग की थी। वे राज्य के लिये अंतर–धार्मिक विवाहों से जुड़ी किसी भी बाधा को हटाने हेतु एक संवैधानिक प्रावधान प्रस्तुत करना चाहते थे ताकि ऐसे विवाहों के विरूद्ध सामाजिक भेदभाव को हटाया जा सके।

वर्तमान में सभी धर्मों की युवा भारतीय महिलाएँ बढ़–चढ़ कर काम करने, अध्ययन करने, ऐसे व्यक्ति से विवाह करने जिसे वे स्वयं चुनें और जिसके साथ अपनी शर्तों पर जीवन जीने का फैसला करें आदि जैसी स्वतंत्रता की मांग कर रही हैं। ऐसे में न तो इन बुनियादी अधिकारों पर सवाल उठाया जाना चाहिये और न ही इन पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। एक महिला की स्वायत्तता उसका अपना अधिकार है, किसी भी माता–पिता, रिश्तेदार या राज्य तंत्र को उससे इस स्वायत्तता को छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। एक महिला को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास, एक ऐसी विनम्र महिला आबादी को तैयार करने का प्रयास है, जो वही करती है जैसा उसे बताया जाता है तथा सामाजिक और पारिवारिक निर्देशों के खिलाफ विद्रोह नहीं करती है। हालांकि एक बडा वर्ग इस तरह के कानून के समर्थन में भी है और धर्मांतरण रोकने के लिए जरूरी बताता है।

पूरी दुनिया में पहचान बनातीं भारतीय महिलाएं

– डॉ. मोनिका शर्मा

हाल ही में आई फोर्ब्स पत्रिका की शक्तिशाली महिलाओं की पावर लिस्ट सूची कई मायनों में अहम है, यह वैश्विक स्तर पर कोविड काल में महिलाओं द्वारा समर्थ, सजग और सामुदायिक स्तर पर निभाई गई सार्थक भूमिका की बात भी लिए है और उन महिलाओं के उदाहरण भी जो अहम पदों और निर्णयात्मक भूमिका तक अपनी पहुँच बनाने में कामयाब हुई हैं। असल में देखा जाए तो कोरोना आपदा से जूझते हुए बीतने वाले इस साल में घर के भीतर और बाहर बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में यह सूची वैश्विक महामारी से बदले समाज के सभी पहलुओं पर महिलाएंश दुनिया भर में अपनी–अपनी भूमिकाओं में प्रभावी कार्य करने और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने की दौड़ जीतकर आगे बढ़ने के संघर्ष को भी रेखांकित करती है।

भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ, एचसीएल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोशनी नाडर मल्होत्रा और लैंडमार्क ग्रुप की रेणुका जगतियानी को फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया की सर्वाधिक 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया है। साल 2020 की दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की इस फेहरिस्त में अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल

हैं। जर्मनी की चांसलर एजेंला मर्केल लगातार दसवें साल फोर्ब्स पत्रिका की इस पावर लिस्ट वाली सूची में शीर्ष पर हैं, हमारे देश के वित्त मंत्रालय की कमान संभाल रहीं निर्मला सीतारमण इस सूची में 41वें स्थान पर हैं, रोशनी नडार मल्होत्रा को 55वां, किरण मजूमदार शॉ को 68वां और लैंडमार्क ग्रुप की प्रमुख रेणुका जगतियानी को 98वां स्थान दिया गया है। गौरतलब है कि 17वीं वार्षिक फोर्ब्स पावर लिस्ट में 30 देशों की महिलाओं ने स्थान हासिल किया है। पत्रिका के मुताबिक इस सूची में 10 राष्ट्राध्यक्ष, 38 मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 5 मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। इन सभी महिलाओं की उम्र, राष्ट्रीयता और पेशे अलग–अलग हैं, पर साल 2020 की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्होंने मंचों का इस्तेमाल एक तरीके से किया हैं।

दरअसल, साल 2020 कई मायनों में संघर्ष और समस्याओं का साल रहा है। दुनिया के हर देश में आम जीवन से जुड़ी परेशानियों के अलावा कोरोना के संकट के चलते भी अनगिनत परेशानियां सामने आईं हैं । ऐसे में दुनिया भर में अपने–अपने क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने कई मायनों में अहम भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा इस फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होनें कड़े लॉकडाउन, क्वारंटाइन नियमों और इस आपदा से लड़ने के लिए सही समय पर लिए सही फैसलों की बदौलत अपने देश को कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर से बचाया है। जर्मनी की चांसलर एजेंला मर्केल को लेकर भी फोर्ब्स पत्रिका ने कहा है कि मर्केल यूरोप की प्रमुख नेता हैं और जर्मनी को वित्तीय संकट से उबारकर वे क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रही हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में, दुनिया भर में महिलाओं ने सरकार, व्यापार, परोपकार और मीडिया के क्षेत्रों में नेतृत्व के पदों तक अपनी पहुँच बनाई है।

गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने बीते साल ही भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला है। इससे पहले वे रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो दुनिया के हर हिस्से में महिलाएं संघर्षरत हैं। बावजूद इसके हालातों से जूझते हुए वे ना केवल खुद की पहचान बना रही हैं बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी हालात बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर शामिल अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पहली अश्वेत महिला हैं, जो एक संघर्षशील सफर के बाद इस पद पर पहुंची हैं। हमारे यहाँ भी व्यवसाय की दुनिया में बायोफार्मास्युटिकल फर्म बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ स्वयं अपनी मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुंची हैं, फोर्ब्स का कहना है कि किरण ने लीक से हटकर काम करते हुए एक अनुसंधान और विकास आधारित बायोटेक फर्म के निर्माण के उद्देश्य से अनुसंधान के बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक प्रतिभा में निवेश की राह अपनाई है। उनकी कम्पनी कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दो अलग–अलग बायोसिमिलर दवाओं के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक (यूएसएफडीए) से अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी भी बन गई है। इस सूची में 55वें स्थान पर शामिल एचसीएल कॉरपोरेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोशनी नडार मल्होत्रा इस प्रौद्योगिकी कंपनी के लिए सभी रणनीतिक निर्णय लेने वाला चेहरा हैं।

दरअसल, इस संकट काल में सामुदायिक स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही महिलाओं ने बहुत प्रभावी ढंग से काम किया है। उनकी भागीदारी पर गौर करते हुए फोर्ब्स पत्रिका ने इस वर्ष की सूची में 17 नए लोगों के नामों को भी जगह दी है। अमेरिकी बहु राष्ट्रीय कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस, कैरोल टोम की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 11वां स्थान दिया गया है तो कैलिफोर्निया के क्लोरोक्स लिंडा रेंडले की प्रमुख को 87वां स्थान मिला है। कोरोना काल में साफ–सफाई और एक सामुदायिक जुड़ाव के भाव की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई। सीवीएस हेल्थ की कार्यकारी उपाध्यक्ष करेन लिंच 38वें स्थान पर हैं। जो कोविड–19 जांच कार्यक्रम वाली दवा कंपनियों की शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर हैं। इतना ही नहीं करेन 2021 में कोरोना वायरस के टीकों के प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्यभार भी संभालेंगीं। पर्यावरण सहेजने के लिए सकारात्मकता और जागरूकता से जुड़ी मुहिम चलाने वाली ग्रेटा थनबर्ग भी इस साल की फेहरिस्त में शामिल नए चेहरों में से एक हैं। कोविड संक्रमण रोकने के लिए कांटेक्ट ट्रेसिंग का सख्त कार्यक्रम चलाने वाली ताइवान की राष्ट्रपति इस सूची में 37वें स्थान पर हैं। इस सख्त और सार्थक अभियान का ही नतीजा है कि इस देश में कोरोना से केवल 7 लोगों की जान गई है, ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं कि महिलाओं ने महत्त्वपूर्ण पदों पर पहुंचने से लेकर संकट में संवेदनशील भूमिका निभाने तक, हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। बीते एक साल में कोविड–19 महामारी ने सामाजिक–पारिवारिक और आर्थिक पहलुओं पर कई नए सबक दिए हैं। कितने ही नए सवालों से सामना करवाया है। कहना गलत नहीं होगा कि संकट के समय घर हो, समाज हो या देश। हर मोर्चे पर स्त्रियाँ हमेशा एक प्रभावी और संवेदनशील भूमिका निभाती आई हैं । ऐसे में वैश्विक स्तर पर जो महिलाएं इस सूची में स्थान बनाने में कामयाब हुई हैं, उनकी संवेदनशीलता और संघर्ष किसी ना किसी पहलू पर दुनिया भर की स्त्रियों को प्रेरणा देने वाले हैं

अहंकार से तप नष्ट हो जाता है और इधर–उधर कहने से दान निष्फल हो जाता है। –मनुहम आजाद तभी

Sardar Patel

(The man who brought second independence)

- Ramniwas Malik

Freedom struggle from 1905 to 1947 constitutes the most glorious and luminous period of Indian history. It is because of three reasons.

1. Firstly Indian independence was brought after a period of 1300 years. King Harsh Vardhan died in 647 A.D. It is a historical miracle that India did not lose its name ,identity and existence even after 1300 years of subjugation. Many Civilizations were decimated during much shorter periods but India survived.

2. Millions of people made supreme sacrifices during this period. They went to jails, received lathi blows, lost their cattle and land through confiscation processes during Satyagrahas. Many lost their lives during firing by the police. INA soldiers under Subhas bore unbearable hardships. Many lost their lives. During Nagpur Satyagraha, Acharya Vinoba Bhave was made to run the atta chakki in the jail. These people carried the fight for freedom when extreme poverty and backwardness were omnipresent in India. Looking at the capricious nature of the present crop of politicians of all hues and level of corruption prevailing at all levels, it appears that all our freedom fighters were superhuman beings or angels.

3. It was the first case in the world where freedom was won with the weapon of nonviolent Satyagraha. Nelson Mandela and Martin Luther King Jr. adopted this model later and they also succeeded. People of Denmark also adopted this method in 1939 against German forces and they also could have their way. Indian non-violent movement remained well organised throughout the period of 42 years though at times,it became slightly wayward. The ideological differences of our leaders from time to time took away the sheen and shine of the struggle to some extent. But honesty of purpose of these leaders was never in question.

Eleven leaders who remained at the forefront of the 42 years long struggle were Lokmanya Tilak (1856-1920), Mahatma Gandhi (1869-1948), Sardar Patel(1875-1950), Dr.Rajinder Prasad (1884-1963) Jawahar Lal Nehru (1889-1964) Subhas Bose (1897-1946), Rajaji (1878-1972), Motilal Nehru (1861-1931), Deshbandhu Chtranjan Das (1870-1925) Maulana Abdul Kalam Azad(1888-1958). Lala Lajpat Rai (1865-1929). Four left India for good before the Gandhi Irwin Pact of 1931 and six survived till the Independence day in1947. All these people were epitome of honesty, simplicity, vision, dedication, sacrifice, rectitude, straightness, civility, humility, altruism and brilliance. Still all of them made some mistakes, though inadvertently, at different times. Tilak and Sardar Patel committed the least. But still their greatness was immeasurable. Such mistakes were firstly because every human makes mistakes. Secondly because they had to work in very complex ,unpredictable and adverse circumstances where anybody could be confused. Muslim League put up very unreasonable conditions for joining hands with Congress and other parties for freedom struggle in 1929. (Ali brothers could have been weaned away from Jinnha had some special effort been made at that time.) Ambedkar openly preferred Raj over Hindu Raj. Hindu Mahasabha also worked at cross purposes. Britishers brazenly started implementing the Divide and Rule policy. Gandhi Ji wanted to win the heart of Jinnha by love which was a fruitless exercise.

Sardar Patel entered politics in 1914 when he fought the election and became the Councilor of Ahmedabad Municipality. His total assimilation in national politics took place under the tutelage of Gandhi Ji in 1917 when he was made the Secretary of the Gujrat Sabha and asked to lead the Kheda movement. He left his roaring legal practice that very day, became full time active member and started wearing Khadi clothes. Though only six years younger, he developed and maintained the Guru-Shishya equation with Gandhi Ji during next 31years except with minor deviations. Gujrat was part of Bombay province at that time.

When Vallabhbhai Patel was born in 1875, there was absolutely no political party with no political leader to arouse the feelings of the people for a freedom struggle at that time. Political and economic landscapes were almost barren. Tilak lighted the first small lamp of freedom struggle in 1884 when he and Agarkar started two weeklies Kesri and Maratha in Poona and started pointing fingers at the British governance in Maharastra region. First peaceful assault on Raj(British rule in India) was made in September 1905 against the Partition order of Bengal by Lord Curzon. It took six years to get the order revoked. The only weapon adopted during the movement was total boycott of British goods. Tilak played the most aggressive role at that time along with Lala Lajpat Rai and Surrendernath Bannerjee (Bal,Lal and Pal trio). The second assault was made by Gandhi Ji in April 1919 when nationwide Hartal was observed on 6th April in whole of India against the passage of Rowlatt Bills.This was followed by another big nationwide Non-co-operation movement launched on 1st August 1920 the day Lokmanya Tilak died in Bombay. Sardar Patel was the mainstay of Gandhi Ji in both the movements.

Sardar Patel became a pleader in 1901 in Godhra and then shifted to Nadiad and then to Ahmedabad. He went to England in 1910 and passed his Bar at Law examination in 1912 with first class first and won a prize. He returned home urgently to take care of his poor family. His wife Javerba had died in 1908 leaving two children

हम आजाद तभी पाते हैं, जब हम अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। –रवीन्द्रनाथ टैगोर

(Mani and Dayabhai) aged 3and 5, Mani(later Manibehn) being the elder sibling.Sardar did not remarry and led a complete celibate life in true sense of the word.Gandhi Ji was named with the wife of a Congress leader of Lahore (no physical relationship) but was saved by Raja Ji from further embarrassment. Nehru had platonic friendship with Lady Mountbatten but he did not allow her to change his decisions of national importance. Life of Sardar was the purest in this regard.

After returning from England, Vallabhbhai started leading a westernized lifestyle wearing suites, neckties and hat. He always won the championship in the game of Bridge.Initially he had developed a very poor opinion about Gandhi Ji .But after the first successful experiment of Satyagraha in Champaran ,he was mesmerised by his saintly personality and became his whole time worker without bothering for the financial difficulties and upbringing of the two children.

Gandhi Ji and Tilak remained contemporary for five years. He respected him a lot but never went to meet him to discuss about the future course of action for the freedom struggle. He played a big role in collecting a sum of ? 3 lakh to pay for the expenses of Tilak for fighting a defamation suit against Chirole in London. John Simon (of Simon Commission fame) was his advocate.Home Rule Leagues of Tilak and Annie Besant(1847-1933) had become the most popular cry in1916 . Gandhi Ji finished the Home Rule League after becoming its President by caring little for its growth. This happened few months before the death of Tilak on 1st August 1920.Thereafter Annie Besant also drifted from Gandhi Ji and the freedom movement and went to Madras to execute her social projects till her death. Gandhi Ji, Lokmanya Tilak and Besant would have formed a very formidable combination.This was the first big mistake of Gandhi Ji not to join hands with Tilak and Besant.Jinnha also did not forget the highhandedness of Gandhi Ji in compelling him to leave the Home Rule League. Jinnha and Tilak were the best friends and each could get anything done from the other. Had Tilak lived for five years more,the bond of Hindu-Muslim unity stitched by them in Lucknow session of 1916 would have survived for a very long time.Tilak was the most sagacious and learned person of all the eleven leaders mentioned initially. He laid the foundations of Indian nationalism and the freedom movement over which Gandhi Ji erected the superstructure.

Vallabhbhai Patel became Sardar Patel after the successful Satyagraha in Bardoli Taluka of Gujrat in 1928.He had led three more movements successfully in Kheda, Nagpur and Borsad.No other leader led individual movements like the Sardar. However Jawaharlal took the problems of peasantry in Allahbad in an aggressive way during 1930s.Earlier Patel made his name as an administrator par excellence when he became Mayor of Ahmedabad Municipality in 1924 and overhauled the system of public services completely like water supply, drainage,building roads and opening new hospitals and dispensaries.

Sardar Patel also made four mistakes along with his colleagues. His first mistake was to oppose (along with Raja Ji,Parsad and Azad)the Council entry advocated by Motilal Nehru, C.R.D as and Vithalbhai Patel (elder brother of Sardar Patel).This step proved very costly to the lives of people, the Party and the freedom movement. His second mistake was not to prevent CWC members criticising Subhas Bose when he was lying on a stretcher due to serious illness on the dias in January1939 Congress session at Tripuri on the bank of river Narmada. This was the most hurtful scene ever seen in Congress party meetings till now. The only hurtful scenes were witnessed during heckling of Tilak in 1907 Congress session at Surat and not allowing the body of ex-Prime Minister Narsimha Rao to be placed in Congress Bhavan in Delhi for laying wreaths. His third Mistake was that he made no effort along with Nehru to protect the autonomy of N.W.F.P. and protect the lives of Khan brothers (Khan Abdul Gaffar Khan and his elder brother Dr.Khan Sahib-the Premier) from intense persecution by Muslim League after 15th August 1947. This selfishness of the entire Congress Party is unforgivable. The two brothers had stood by Congress like a rock throughout the freedom struggle.. (details given in the book). He did not advise Gandhi Ji not to go unprepared to attend Round Table Conference in London in September 1931.

Other leaders made similar mistakes.Nehru made the maximum mistakes and continued to do so even after 1947. To name only one,his biggest mistake afterwards was that of making Krishna Menon as the Defense Minister of India and allowing him to run the Foreign Ministry unofficially as well.

Subhas was a leader of fiery disposition. Astrologers tell that this was due to the fact that fiery planet Mars was placed in his first house. He was always a man in haste. His big mistake was not to give due respect to his senior colleagues.Sardar Patel was elder to him by 22 years.Still he engaged in a legal battle with Sardar Patel over the issue of will of his elder brother Vithalbhai Patel and the matter went upto Supreme Court.Finally Sardar Patel won the case.Had Subhas decided to work under the wings of Sardar Patel after the death of his Guru C.R.Das in 1925,things would have been different to tell.However his sacrifice of leaving ICS job will always be remembered. He did not marry till 1942 and his Austrian wife had to suffer a lot afterwards.He was the sorest point in British eyes.That is why he had to face very harsh conditions in jails in order to break his spirits.Sacrifices of Sardar Patel at personal level are no less.He left his legal practice three years before others did (Motilal, Das, Parsad, Raja Ji and many more). His fame as criminal lawyer was sky high in Ahmedabad.Witnesses of the opposite party were mortally frightened of him because of his superb cross-examination skills. He did not have his own house when he died. His total possessions at the time of his death were a bundle of Khadi clothes made of yarn woven by his daughter.

Patel totally overruled Nehru and made the Party to accept the decision of fighting elections in 1937 and form Ministries. The Congress government could provide the best governace for two years during 1937-39.Provincial India achieved 50% independence at that time. Second World War spoiled the whole show thereafter. Again he was the main architect of Quit India Movement under Gandhi Ji.The crowd of 50000 people gathered at Bombay Maidan on 8th August was largely due to his efforts. Nehru and Azad did not want this movement and they fell in line when Gandhi Ji asked them to leave the 'Congress if they so liked'.Gandhi Ji could become a stern dictator at times.

The greatest moment of Sardar Patel came in June 1947 when he was made the Minister for newly created States Department at the suggestion of Mountbatten. He brought V.P. Mennon to work as the Secretary of the State Department and gave him full authority to negotiate with princes.Job of this Department or Ministry was to deal with princely States in respect of their annexation.There were 565 States and an equal number of princes. Hardly ten states were located in Pakistan territory. The rest 555 were in India. With the hard work and planning of V.P. Menon and co--operation of Mountbatten,he could accomplish this onerous job in just two years and the feat was no less than a big miracle.Rajasthan State of Union (consisting of a dozen smaller States)was the last to joun Indian Union in June 1949.Only provincial India, occupying half of geographical area and accomodating two third population (20 crore) got freedom on 15th August 1947. The remaining half got in June 1949.This was the second independence brought by Sardar Patel.

But at the same time he was crushed under the overburden of work as he had to deal with problem of rehabilitation of refugees,extinguishing communal fire and work in Constituent Assembly. He was the Chairman of a dozen committee's and sub-committees relating to drafting of Constitution.Simultaneously,he was constantly bothered by his health problems.His speeches were always short ,crisp and loaded with logic.

Only three speeches will suffice to illustrate this fact.

1. I appeal to Hindu Mahasabhais to join Congress…If you think that you are the only custodian of Hinduism, you are mistaken.Hinduism preaches a broader outlook. I appeal to the R.S.S. not to be rash and tactless. Do not be aggressive. (speech at Lucknow in January 1948.)

2. Die but do not fall back upon.This time if a railway line is removed or an Englishman is murdered,the struggle will not be stopped…Carry this message to every nook and corner of Gujrat.Be ready to carry out Gandhi Ji's firman.(speech in Gujrat on 27th July 1942 on the eve of Quit India movement)

3. Singapur has fallen.Malaya is lost.Sumatra and Jawa have been overrun,and in a couple of days, Rangoon may fall. Now the British say, "Help us. "What help we can give? Do they want us to act as corpse-bearers? (speech just before the fall of Rangoon.).

Sardar was greatly worried about the future of his daughter who was now 41years old.He could not talk to her as frankly as his mother could do.He wrote to her on 13.12.44.

"The thought keeps coming to my mind time and again that my time in this world is nearing its end.How long can you stay with me ?Thinking of the future,shouldn't you settle down in a field of your choice so that you have no sudden difficulties to face when I am gone ? You will be going of course to Wardha for a while but you cannot be doing that for ever.Who can say how long Bapu will be able to live?"

To throw tangential but humorous comments had become the brand of Sardar.He ,Mahadev and Gandhi Ji were together in Yeravada jail in 1932.Sardar Patel used to cut jokes on Gandhi Ji almost daily and Mahadev used to record them.One day Gandhi was making lot of noise for not getting neem ki datun.Sardar Patel quipped,"Bapu,you are left with only two teeth and still making so much noise."Gandhi Ji wrote to a friend, "Sardar makes me laugh and laugh till I can laugh no more. He can make you laugh even at the cremation ground."It was here that Gandhi Ji shocked Patel with the question,"Which portfolio will you like to take in free India."Patel replied,"I will go with a begging bowl."Jinnha died in September 1948. Dr.B.C.Roy ,the Chief Minister West Bengal, asked Sardar Patel,"Sir should we lower the national flag as a mark of respect for Jinnha?""Was he your relative?" replied Sardar.

Patel was very fond of Mahadev for his multifarious qualities.He was shocked beyond measure when he came to know about his death at the young age of 50.He died in Aga Khan Palace on 15th August 1942 just a week after his arrest during the Quit India movement.

The answers of Sardar Patel to questions in the Constituent Assembly were briefest and brought lot of laughter in the Assembly.Two samples are enough to prove the point.

Deshbandhu Gupta: Is the Hon.Minister aware that the remark by the Prime Minister that a decision in respect of capital of East Panjab would be made shortly.Will the term 'shortly 'be defined?

Patel: It is already defined in Webster's dictionary.(19.2.48)

B.S.Maan: May I know how many times the police resorted to lathi-charge to disperse the refugees during last four days.

Patel: As many times as it was necessary to disperse an unruly crowd.

Sardar Patel had to face very agonising days after 1947.Nehru started complaining (in writing to Gandhi Ji)about Patel's approach of dealing with his Ministry .He did many things to belittle him.Azad also started complaining of his diffidence towards Muslims though his fears were imaginary.Even Gandhi Ji one day said,"Out of two, one has to go." Patel immediately wrote to Gandhi Ji,"It is I who shoud go as I have grown weak in my strength."He wrote his resignation letter and went for a farewell tour of

India.But again Gandhi Ji called Sardar Patel to Birla House on the last day of his life on 30th January 1948 and just before his martyrdom in the evening. He told Patel ," Services of both of you are indispensable for the country.Any rupture in your relations will be disastrous for the country." He also took a word from Patel that he would support Nehru for good.Sardar Patel fulfilled his promise till his death even though Nehru gave him very tantalising moments.He took a word from N.V.Gadgil few days before his death,"My end is very near.You give me a promise that you will always support Pandit Ji inspite of your differences." Still Nehru bore ill will against Sardar Patel. He resented President Rajendra Parsad attending the funeral of Sardar Patel.He did not allow his Home Secretary to attend the funeral.Naraini Basu (great grand daughter of V.P.Menon)writes in her book on V.P.Menon at page 416.

"H.M. Patel wrote an article in Indian Express that was full of praise for Sardar Patel.The editor Frank Moraes told Patel that Nehru,Vijay Laxmi Pandit and Indira Gandhi had greatly resented the publication of that article."

वैवाहिक विज्ञापन

- SM4 Jat Girl (DOB 19.12.93) 27/5'5" MBBS batch in 2011, Post. Govt. job Medical Officer, HCMS. Avoid Gotras: Punia, malik, Rathi. Cont.: 9466110050
- Suitable Match for Jat Girl (DOB 29.02.92) 28/5'4" M.Sc. Physics, B.E.d, PTET, Employed as Teacher in private school at Chandigarh. Avoid Gotras: Dalal, Dagar, Singhmar. Contact: 9463330394
- SM4 Jat Girl (DOB 07.11.92) 28/5'4" B.Tech (EC), MBA (Business Analyst & Marketing). Avoid Gotras:Saharan, Dabas, Samota. Cont.: 9671922745
- SM4 Jat Girl (DOB 11.12.93) 27/5'6" B.A., MA (English). Father Inspector in Chandigarh Police. Avoid Gotras:Ahlawat, Mann, Narwal. Cont.: 9896891926.
- SM4 Jat Girl (DOB 05.08.94) 26/5'3" B. Tech from P.U. Working in I.T. sector at Banglore. Father A.S.I. in Chandigarh Police. Avoid Gotras:Sihag, Redhu, Naare, Khatkar. Cont.: 9417862853
- SM4 Jat Girl (DOB 25.04. 93) 27/5'4" M.Sc. Nursing. working as Lecturer at Swami Devi Dayal College of Nursing. Avoid Gotras:Pilania, Malik, Singroha. Cont.: 7015420969
- SM4 Jat Girl (DOB 25.05.95) 25/5'2" Graduation in Veterinary Science from Chennai. Father employed in Air Force. Mother housewife. Brother software Engineer. Family settled at Ambala. Avoid Gotras:Bhanwala, Duhan, Chahal. Cont.: 8708133478
- SM4 Jat Girl (DOB 25.10.92) 28/5'5" B.Tech (Electronics & Communication.) Avoid Gotras: Dhayal, Punia, Phogat. Cont.: 9416270513
- SM4 Jat Girl Divorcee (DOB 23.07. 88) 32/5'3" BDS. Own practice. Father VRS from Revenue Department & own business. Mother housewife. Avoid Gotras: Chahar, Nain, Binda. Cont.: 7347378494, 9414465295
- SM4 Jat Girl (DOB 21.11.94) 26/5'7" M.A. Political Science. Working in Government Service. Preferred Tri-city match. Avoid Gotras:Siwach, Malik, Sandhu. Cont.: 9569854549
- SM4 Jat Girl (DOB 19.09.90) 30/5'3" B. Tech, MBA. Working in Moodies Company at Gurugram. Own house at Zirakpur. Father employed in State Bank of India. Avoid Gotras:Deswal, Kadyan. Cont.: 8427945192
- SM4 Jat Girl 27/5'3" B.A., B.Ed., Studying in MA 2nd Year. Avoid Gotras:Khapra, Pawar, Khatri. Cont.: 9416918777
- SM4 Jat Girl (DOB 18.07.94) 26/5'3" B.Tech. in CSE. Working as Assistant Manager in Public Relation Department, Haryana Civil Secretariat. Father in Government service. Mother housewife. Brother studying in CANADA. Avoid Gotras:Chahal, Lohan, Nain. Cont.: 9416961354
- SM4 Jat Boy Sub inspector Haryana"D.O.B: 11/06/1990 "Height:5.8" "Academic Qualification: "BSC, MSC : "UGC NET Environmental Science"Also preparing for UPSC. Avoid Gotras: Nain, Daindan, Jaglan, Cont.: 9599099594
- SM4 Jat Boy (DOB18.10.93) 27/5'10" B.Tech. in Civil Engineering. Own construction work. Father retired from Haryana government. Avoid Gotras: Dahiya, Gehlawat, Hooda, Rathi. Cont.: 9888502076
- SM4 Jat Boy (DOB15.11.91) 29/5'9" M.A. LLB, Doing practice in District Court. NET, JRF clear, pursuing Phd. Father Deputy District Attorney in Haryana Government. Own house at Hisar. 20 acre agriculture land at village. Avoid Gotras: Kajla, Punia. Cont.: 9992900936
- SM4 Jat Boy (DOB18.10.90) 30/6'1" B. Tech from UIET Chandigarh. Employed as Inspector in CBI. Own house at Zirakpur. Preferred employed match in Centre or state govt. Avoid Gotras: Khasa, Dahiya, Lathwal. Cont.: 9023492179
- SM4 Jat Boy (DOB 26.06.91) 29/5'8" B.A. LLB, Doing practice as Advocate in Punjab & Haryana High Court. Pursuing judiciary. Only son. Three house at Chandigarh, Panchkula, Hisar,. Three acre land in village. Three shops and plots. Avoid Gotras: Punia, Nain, Sihag. Cont.: 9316131495, 7973059762
- SM4 Jat Boy (DOB 27.04.89) 31/5'10" B.Tech. in Bio-Medical Engineering. Working in a reputed Master's Medical Company with package of Rs. 16.5 lacs PA. Father businessman. Mother housewife. Avoid Gotras: Jatyan, Duhan, Dagar. Cont.: 9818724242
- SM4 Jat Boy (DOB 14.03.95) 25/5'10" B.A. Doing M.A. Employed as clerk in Municipal Corporation Chandigarh on contract basis. Own house at Panchkula. Avoid Gotras: Sangwan, Jakhar, Pachar. Cont.: 9463961502
- SM4 Jat Boy (DOB 08.10.91) 29/5'9" B. Tech. in Mechanical Engineering. Employed in a reputed Company as Senior Engineer. Family settled at Pinjore. Avoid Gotras: Malik, Balyan. Cont.: 9466015020

किसी चीज से प्रभावित न होना ही मुक्ति है। –स्वामी विवेकानंद

ज्यों केले के पात-पात में पात रहै।

– डॉ० धर्मचन्द्र विद्यालंकार

(क) ब्राह्मणों की उपजातियाँ:

हिन्दू समाज हजारों जातियों एवं उपजातियों में बँटा हुआ है, ऊपर से भले कहने भर को चतुवर्णीय व्यवस्था रही है। लेकिन यहाँ पर केले या प्याज के पत्तों की भाँति जातियों में भी उपजाति की पते मौजूद हैं। आज हम इन उपजातियों की ही जाँच-पड़ताल यहाँ पर करना चाहेंगें। उदाहरणार्थ सर्वप्रथम किवां सर्वश्रेष्ठ स्वयं को मानने वाले ब्राह्मण वर्ण में भी अनेकानेक उपजातियाँ भी हैं। यथा, नीचे देखिये- गौतम, अत्रि, भारद्वाज, शांडिल्य, पाराशर, उपमन्यु, वत्स, श्रीनेत्र, कुलकर्णी, दीक्षित, अग्निहोत्री, कन्नजौजिया, दी चितपावन, अय्यर, नंबूदरीपाद आदि यदि गोत्र अथवा कबीले हैं तो फिर उनमें उपजातियों में, दूबे या द्विवेदी, तिवारी या त्रिपाठी, चतुर्वेदी, पांडेय, उपाध्याय, पात्रा, चटनी, मुखर्जी लहरी, लवानिया जैसी उपजातियाँ विद्यमान हैं। तो स्थानभेद से ही कन्नौजिया अथवा अवस्थी, सरयूपारी, औदीच्य, दक्षिणात्यादि भेद हैं। इसी प्रकार से पंचगौड़ या फिर पंच सारस्वत जैसे स्थनिक उपभेद भी अकेले ब्राह्मण वर्ण में ही विद्यमान हैं।पंचगौडों में भी आदि गौड, बंग, गौड, उत्कल गौड तथा द्राविड गौड मौजूद हैं तो औदिच्यों में कश्मीरी कौल, गुई, कारजू जैसे गोत्र भी आते हैं। इसी प्रकार से चौरासिया, ब्रज चौरासी कोस वाले कहे जाते हैं।

ब्राह्मण वर्ण की यह विशेषता है कि वह अर्न्तविवाही है। अथवा वह शादी-विवाह अपने गोत्र में ही करता है। केवल प्रवर अथवा शासन ही बचाते हैं। इस प्रकार से दूसरों वर्णों को जाति एवं उपजातियों में बाँटने वाला ब्राह्मण वर्ण किवां वर्तमान में जाति-वर्ण स्वयं में भी सहस्त्रों उपजातियाँ और कुल-गोत्रों में विभाजित हैं। उसके खान-पान विवाहों में भी भेद है। तथापि उसमें सामाजिक भेदभाव होने के पश्चात भी राजनीतिक एकता अनवरत अटूट ही है। क्योंकि यही वर्ण भारतीय राजनीतिक का थर्मामीटर किवां मापक-यन्त्र है। वह जिसे भी अपने वर्ग-स्वहितों का सम्पूर्ण साधक समझता है, उसी राष्ट्रीय दल का मत-निर्माण करके सत्तासीन करता है। अब तो उसकी शक्ति-सत्ता और भी व्यापक बनती चली जा रही है। क्योंकि ब्राह्मणीकरण अथवा सांस्कृतिकरण के कारण विश्वकर्मा या धीमान किवां बढई और खाती तथा लुहार पांचाल भी अब स्वयं को ब्राह्मण बताने लगे हैं। और शर्मा इस जाति-वर्ण का संयुक्त सम्बोधन है। यह भी उनकी राजनीतिक एकता का एक सबल आधार सिद्ध हो रहा है।

ख) राजपूत-ठाकुरों की उपजातियाँ:

अब हम आगे दूसरे क्षत्रिय वर्ण किंवा राजपूत जाति की चर्चा भी यहाँ कर सकते हैं। उसके भी अनेकानेक भेद और उपभेद हैं। उनमें जैसेकि शेखावत, शक्तावत, भदौरिया(चौहान), गौतम(गुरू गोत्र) जादौन(युदवंशी) सूर्यवंशी, सोमवंशी व सेंगर, विषेन, चंदेल, गौर, चौहान, राणावत, रौनियार, रैकवार, दीनवार और सिकरवार जैसे स्थानीय गोत्र भी मौजूद हैं तो राठौर गहरवार(गहडवाल जयचन्द कन्नौज) चनरवार भी ऐसे ही स्थानीय उपभेद मौजूद हैं। इनमें से गौतम और भारद्वाज जैसे गोत्र गुरूगोत्र अथवा ब्राह्मणों द्वारा अपने राजपूत-क्षत्रिय यजमानों को दान किए गये हैं। हालांकि इतिहास में राजपूत किवां ठाकुर जैसी जाति कोई समेकित या इकट्ठी रक्तवंश गत प्रजाति नहीं है। अपितु यह छत्तीस राजकुलों का ही एक ढीला-ढाला संघ ही मध्यकाल में था। जिनकी रचना पूर्व मध्यकाल (7वीं से 12वीं) शताब्दी के अन्तराल में राजस्थान में भी हुई थी। उनमें परस्पर में रोटी-बेटी तक का भी सम्बन्ध नहीं था।

राजपुत्र अथवा ठाकुर एक प्रकार से इन कुलों को प्रदत्त उपाधि थी जोकि उनको सम्मानित एवं संस्कारित करने के लिए ही उनके राजपुरोहितों किवां ब्राह्मणों ने ही प्रदान की थी। जो भी कुल राजसत्ता में था, अथवा जमींदार या फिर बडा जागीरदार था। ब्राह्मणों को विपुल दान-द्रव्य देने की क्षमता दक्षिणा-स्वरूप रखता था, उन सबको उनके विप्र कुलीय पुरोहितों ने राजपूत और ठाकुर तथा क्षत्रियत्व की सम्मानित संज्ञाओं से विभूषित कर दिया था। इनमें यदि कुछ कुल पुराने भी थे-कुशवाह-काछी जैसे जिनको कि ब्राह्मणों ने दुढांड क्षेत्र अथवा आम्बेर या जयपुर के शासक बनने पर ही कच्छपघात एक नवीन राजकुल की कलित कल्पना करके उनको कछवाह-राजपूत घोषित कर दिया था।

इसी प्रकार से कूचविहार (बंगाल) के आदिवासी कबीले को भी राजसत्ता सम्पन्न होने पर राजवंशी बना दिया था और उसके शादी-सम्बन्ध जयपुर के कछवाहे राजवंश के साथ होने लगे थे। उदाहरणार्थ महारानी गायत्री देवी उसी राजकुल की पुत्री थी। ऐसे ही दशरथ शर्मा जैसे इतिहासविदों ने मेवाड़(उदयपुर) के राणा वंश अथवा गुहलोतों का सम्बन्ध गुजरात-खंभात के खारवाओं से जोड़ा है जोकि आज भी स्वयं को गुहिल या गहलौत ही लिखते हैं। वही लोग सिसौदा गांव में बस कर सिसौदिया भी कहलाने लगे थे। इस प्रकार से राजपूतों की लगभग सभी उपजातियाँ भी नाना राजपूतों के सम्मिश्रण से ही पूर्वमध्यकाल में संभूत हैं।

(ग) वैश्य वर्ण की उपजातियाँ:

वैदिक किवां ब्राह्मणीय वर्ण-क्रम में यदि ब्राह्मण सर्वशिरोमणि हैं तो राजपूत-क्षत्रिय दूसरे दर्जे के ही उत्तम अधिकारी हैं। तो वहाँ पर सामाजिक संरचना के तीसरे पायदान पर अर्थ-उत्पादक अथवा धन का स्वामी वैश्य वर्ण ही था। जिसकी दान-दक्षिणा के बल पर विप्रदेवों के मंदिर और देवालय अथवा पानशालाएँ(प्याऊएँ) चहकते थे। यदि ब्राह्मण एक शास्त्रकर्त्ता एवं नियामक बुद्धि-वैभव का एकाधि पति था तो क्षत्रिय-ठाकुरों के हाथों सारी शासन-सत्ता पूर्वमध्यकाल में आ गई थी। इसी प्रकार से पूरे के पूरे वाणिज्य-व्यापार एवं कुसीद या साहूकारी किवां सूदखोरी का कार्यकलाप इसी अर्थोत्पादक

वैश्यवर्ण के एकाधिकार में चला गया था। लेकिन उपर्युक्त वर्ण अथवा जन्मजात जाति-वर्ग में भी अनेकों जातियाँ एवं उपजातियाँ और नाना कुलगोत्र विद्यमान हैं। वैसे वैदिक पणिक् से बणिक् और विश से ही वैश्य वर्ण बना है।

वैश्य वर्ण में मारवाडी-बनिये जोकि राजस्थान से निर्गत हैं, वही मुख्य हैं तो हरयाणा के अग्रोहा से विस्थापित अग्रवाल भी अब एक बडा देशव्यापी वैश्य वर्ग है। तो बिहार में केसरी या केसरवानी और साहू हैं जोकि निम्नस्तरीय ही समझे जाते हैं। जोकि कभी सरसों में से तेल निकालने का ही कार्य किया करते थे। इसलिए उन्हें प्रकारानतर से तेली भी कहा जाता है। उत्तरप्रदेश में ये लोग अब स्वयं को राठौर तेली भी लिखने और बताने लगे हैं। तो अग्रवालों के गर्ग, बंसल और कंसल तथा मित्तल और कुच्छल जैसे 17 गोत्र प्रमुखत: राष्ट्रव्यापी हैं ही। तायल और धारण भी उन्हीं में से एक है। कई वैश्य वर्ग के व्यक्ति अपना सम्बन्ध(रक्त का) राजपूत-क्षत्रियों के साथ भी जोड़ते हैं। जैसेकि राठौर, कलवार(कल्चुरी) जायसवाल, रौनियार, कानू, भुर्जी आदि। लेकिन उनके राजपूतों के साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं है। अतएव हिन्दू समाज की इस विषमतावर्धक एवं विभाजनकारी जाति-व्यव्था ने रक्त-वंश के सम्बन्धों में भी दरार उत्पन्न कर दी है। फिर भी गुप्त इनका सामूहिक सम्बोधन है। जोकि संस्कृत के गोप्ता(दुर्गरक्षक) शब्द से ही बना है।

अतएव व्यवसायों के आधार पर भी उपजातिभेद विद्यमान हैं। यथा, जो वैश्य मिठाईयाँ बनाता है; वही हलवाई है। जो लोहे का काम करता है, वही लोहिया है। तो किराने का काम करने वाला बिसारती है। स्वर्णकार वैश्य सर्राफ कहे जाते हैं। तो दलाली का काम करने वाले ही गुजरात में दलाल हैं तो उत्तर-भारत में आढतिये कहे जाते हैं। वैश्य वर्ण में भी उपजातियाँ अनेक हैं और उनमें परस्पर में शादी-सम्बन्ध भी नहीं होते हैं जैसेकि दस्से और बिस्से। वार्ष्णेय जैसे प्राचीनतम वैश्य वर्ण की उपजातियाँ ही वर्तमान में दस्से अथवा ढिसरे हुई या पतित मानी जाती हैं। इसी प्रकार से केसरी और साहू तेली भी निम्नस्तरीय ही समझे जाते हैं।

(घ) अन्य पिछड़े वर्ग की जातियाँ और उपजातियाँ:

ब्राह्मण शास्त्रकारों ने अपनी वर्ण-संरचना में श्रमिकों किंवा किसानों और कामगारों को ही चतुर्थ अर्थात् शूद्र-संवर्ग में स्थान दिया था। मनुस्मृति से लेकर गीता-माता तक की यह सम्मति इस विषय में रही है। परवर्ती धर्मशास्त्रकारों ने पूर्वमध्यकाल में रचित स्मृति-शास्त्रों में वैसे तो सारी ही जातियों एवं उपजातियों की उत्पत्ति अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के आधार पर सिद्ध की थी। प्रतिकूल वर्णों के मध्य में होने वाले विवाह-सम्बन्धों से संभूत संतानें ही वर्णशंकर कहलाई गई थीं। उन्हीं को वर्तमान में अन्य पिछड़े किसान भी कहा हाता है। जोकि क्षत्रियों की शूद्रा पत्नियों की ही संतान प्रकारान्तर से मानी गई हैं। वरना वैसे वे मूलत: ब्राह्मण धर्मविरोधी और श्रमण-संस्कृति की समुपासक वर्तमान की मध्यकिसान जातियाँ ही हैं। जिनमें जाट-गूर्जर-आभीर या अहीर और कुर्मी व लोधे एवं मराठे या माली और कोयरी-काछी ही मुख्यत: है। हमारे उपर्युक्त कथन का परम प्रमाण निम्नोक्त मनुस्मृति का यह श्लोक है, जिसमें स्पष्टत: ही ब्राह्मण-पुरोहितों से संस्कार-समारोह सम्पन्न न कराने वाले कृषक कुलों को ही प्रकारान्तर से व्रात्य किंवा वर्णशंकर बताया गया है। देखिये-

शनकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिया जातया:
वर्षलत्वं गतालोके ब्राह्मणामामदर्शनात्।।

(मनुस्मृति 39-40)

अर्थात् श्रमण संस्कृति के प्रभाव स्वरूप जिन जाति-वर्गों ने जोकि पहले कभी क्षत्रिय ही थे, उन्होंने क्रियालोप के कारण विप्रदेवों के दर्शन करने बंद कर दिए थे, बस वे केवल इसी एकमात्र कारण संस्कार-भ्रष्ट होते ही जाति किवां वर्ण-विच्युत भी मान लिए गये थे। अतएव उपर्युक्त जातियों को ही ब्राह्मण-शास्त्रकारों ने सत्शूद्र संवर्ग में स्थान दिया था। जिन-जिन किसान जातियों के घर का अन्न और जल ब्राह्मण-देवता ग्रहण कर सकते थे, वही सछूत किवां सत्शूद्र श्रेणी में थी और जिन कामगार किवां शिल्पकार या दस्तकार और धातुकर्मी जाति-वर्गों के हाथों से विप्र-पुरोहित अन्न-जल का सेवन नहीं कर सकते थे; वही असत्शूद्र अर्थात् अस्पृश्य या अछूत संवर्ग में रखे गये थे। यही लोग अतिशूद्र और चमार (जाटव) चांडालादि लोग थे। तो निषाद या केवट, मल्लाह, धीवर जैसे वर्णबर्हि लोगों को ब्राह्मण-शास्त्रकारों ने 'निषादो पंचमो वर्णो' कहकर उन्हें सर्वथा समाज से बहिष्कृत ही कर दिया था। कर्ण और क्षत्ता जैसी कायस्थ(देहवादी नास्तिक) जातियों को भी उन्होंने शूद्र-संवर्ग में ही स्थान दिया था। बाद में जस्टिस ज्वलाप्रसाद सहाय ने ही उन्हें क्षत्रिय वर्ण में स्थान एक इलाहाबाद उच्च-न्यायालय के निर्णय से दिलवाया था। इन अन्य पिछड़े कृषक संवर्ग की जातियों में साँझा हुक्का-पानी के चलते सामाजिक एकता तो है ही।

(ङ) पिछडे वर्ग के व्यवसायिक विभेद भी हैं-

हरवाहे अथवा हलवाही वर्ग में ही जाट-गूर्जर, आभीर-कुर्मी, कोयरी और माली तथा मराठे आदि हैं। जोकि केवल अपने ही हाथों से कृषि-कर्म करने के कारण ही सत्शूद्र संवर्ग में रखे गये थे। क्योंकि ये मूलत: श्रमजीवी मध्यकिसान जातियाँ ही हैं जोकि भारतीय समाज का मेरू-मणि-दंड ही है। क्योंकि यही पिछड़े किसान देश में स्वर्ण शस्योत्पादक हैं। इनमें भी बहुत सारे भेदभाव हैं। फिर भी इनमें हुक्का-पानी और खान-पान की सामाजिक समानता भी मौजूद है। दूसरा कारण इस वर्ण या वर्ग के लोगों को क्षत्रिय न मानने का ब्राह्मणों द्वारा यह भी था कि यही कृषक कुल अपनी विधवा स्त्रियों का पुर्नविवाह अथवा विवाह (ब्याह) भी रचाया करती थी। जोकि एक पुरातन पावन वैदिक प्रथा ही थी। तथापि सनातनी या स्मार्त हिन्दू-ब्राह्मणों ने विधवा-विवाह को शास्त्र-सम्मत कहाँ माना था। जो जातियाँ विधवाओं का पुर्नविवाह नहीं रचाती थी; उन्हीं किसानेत्तर जातियों को ही द्विजाति अथवा सवर्ण समाज का अभिन्न अंग माना गया था। क्योंकि मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में पुर्नविवाह का नितान्त

अहंकारी का विनाश जरूर होता है। -तुलसीदास

निषेघ ही तो किया गया है- 'न हि नारी पुर्ननिववाहमहर्ति।' जबकि पुरूष पुंगव भले ही शतशः विवाह रचा सकते थे।

परन्तु यह अन्य पिछडा किसान वर्ग भी द्विजातियों की भाँति अनेकानेक उपजातियों में विभाजित और विखण्डित है। यथा, जाटों में ही देशवाली, पछादे, बागडी, और पंजाबी(सिख जट) जैसे- उपभेद विद्यमान हैं। फिर भी अब उनमें आपस में शादी-विवाह भी होने लगे हैं और खान-पान में तो कोई भेदभाव ही नहीं है। अहीर-यादवों में भी घोषी, कामरिया, नन्द और गोप जेसे विभेद विद्यमान हैं। विशेषकर जब अशोक यादव, मुलायम परिवार के विरूद्ध इटावा में चुनाव लडता था तो सवर्ण किंवा हिन्दी का हिन्दू प्रैस इन भेदभावों को और भी अधिक उछालता है। हालांकि वर्मा सभी किसान क्षत्रियों का समेकित संबोधन संभव है। इसी पिछडे वर्ग का एक उपवर्ग धनगर या पाल-गडरिया है तो जलवाहा वर्ग में माली और कोइरी-कच्छी(शाक्य-मौर्यादि) आते हैं। जोकि अधिक जलसिंचन से साग-सब्जी एवं फूल तथा फल उत्पादन करने का कार्य करते हैं। धनगर या पाल गडरिया भेड-बकरियों का उत्तमतः पालन करते हैं। यदि जाट सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अन्नोत्पादक किसान है तो गूर्जर श्रेष्ठ पशुपालक हैं। अहीर दुग्ध-उत्पादन और विक्रय में अग्रणी रहे हैं। मराठे और माली श्रेष्ठ सघन कृषि करके नकदी फसलों के उत्पादक हैं तो कोरी-काच्छी भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हीं किसान-केसरियों ने भारतीय राष्ट्र की सीमा सुरक्षार्थ सर्वश्रेष्ठ शूरवीर सैनिक भी सदैव दिए हैं। ये राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी सजग और समुन्नत हैं। कुर्मी भी इसी अन्य पिछडे वर्ग की एक मुख्य कृषि कर्मी जाति है। जोकि गुजरात से बिहार तक मिलती है।

(च) अतिशूद्र संवर्ग भी विभाजित है।

अतिशूद्र अथवा अछूत चर्मकार और कामगार वर्ग की जातियाँ तो और भी अधिक अनेकधा विखंडित है। यथा, चर्मकारों में ही जाटव-चमार, चानौर कोली और खटीक, जुलाहे, बुनकर बल्हार, कुंजडे, टप्परीवास, चिडिमार, मुसहर या पाशी आदि हैं जोकि प्राचीनकाल में कभी संस्कृत में दण्ड़ पाशविक भी कहलाते थे। पाशिक या व्याध अथवा बहेलिया या अहेरिया जैसी घुमन्तु और आखेटक जनजातियां ही हैं। कभी जिनका पूर्वांचल में शासन भी था। लाखन पासी ने यदि लखनऊ नगर को बसाया था तो बिजली पासी के भी 10-12 किले पूर्वी उत्तरप्रदेश के ग्रामीणांचल आज पर्यन्त भी देखने को मिलते हैं। बिहार में जाकर यही लोग आजकल स्वयं को पासवान भी लिखने और बोलने लगे हैं। कहीं-कहीं ये मुसहर भी कहे जाते हैं। अथवा दुसाध भी मांसाहार के कारण कहे जाते हैं।

आखेटक या शिकारी समूह की ही भांति जलहारा वर्ग कहार, केवट, धीवर या धीमर और विन्द तथा मल्लाह और निषाद भी एक बडा अतिशूद्र या अछूत जाति-वर्ग है जोकि कभी नदियों के किनारों पर नौका- नयन एवं मछली-पालन का ही कार्य किया करता था। इनमें से ही कहार पालकी उठाने का भी कार्य करते थे तो कुछ लोग शक्का बनकर जल भरने का भी कर्म कठोर कार्य किया करते थे। इसी प्रकार से डोम और चांडाल एवं खटीक या रैगर जैसी जातियाँ भी इसी श्रमिक संवर्ग में सम्मिलित है। बल्हार अथवा कडेरें तो भंगी चांडालों से भी निम्नतम जाति कभी मानी जाती थी क्योंकि वे भी उसके घरों से रोटियाँ नहीं उगाते थे या खाते थे।

संभवतः इसी आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेद्वी जी ने यह लिखा थ कि भारतवर्ष के हिन्दू समाज की जाति-व्यवस्था सर्वथा अटूट और अछेद्य है। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक निम्नतर जाति से अपने नीचे की एक और निम्नतम जाति खोज लेती है। डॉ० भीमराव अम्बेदकर इसी पिरामीडिय वर्ण-व्यवस्था अथवा सीढीदार जाति-व्यवस्था को ही क्रमिक असमानता बताया करते थे। जब तक यही वर्ण-क्रम या वर्ण-विन्यास हिंदू समाज में विद्यमान हैं, तब तक जन्मजात जाति-व्यवस्था का विष-बीज भी यहाँ के श्रमिक-शूद्र-सेवक समाज को सहस्त्रों जातियों और उपजातियों में बाँटता ही रहेगा। भारतीय हिंदू समाज की वर्गीय एकता की विषम बाधा यही है।

(छ) किसान-केसरी और राजनीतिक शक्ति-संरचनाः

आजकल ऊपर वर्णित आधार पर हमारा श्रमिक-समाज सहस्त्रों जातियों एवं उपजातियों में विखण्डित है। यही उनकी सामाजिक और राजनीतिक एकता की भी विकट बाधा है। यदि वर्गगत व्यवसायों के हित-लाभों के आधार पर भी ये श्रमिक एवं अन्नोत्पादक कृषिजीवी जातियाँ किसी एक मंच अथवा दल की ही धवल ध्वजा के परचम तले संघठित हो जावें तो भारतीय समाज और राजनीतिक एकता की भी विकट बाधा है। यदि वर्गगत व्यवसायों के हित-लाभों के आधार पर भी यदि ये श्रमिक एवं अन्नोत्पादक कृषिजीवी जातियाँ किसी एक मंच अथवा दल की ही धवल ध्वजा के परचम तले संघठित हो जावें तो भारतीय समाज और राजनीतिक क्षेत्र की यही अजेय और अथाह शक्ति सिद्ध होंगी। क्योंकि वही वर्ग भारतीय राष्ट्र का मध्य मेरूदण्ड है। जिसकी जनसंख्या ही अकेले ही पचास से लेकर पचपन प्रतिशत तक बैठती है, कहीं जाकर। जबकि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर सत्तासीन राजनीतिक दलों को भी मिलने वाला मत प्रतिशत तीस से पैंतीस या अधिक से अधिक चालीस प्रतिशत ही रहा है। समस्त देश में संभवतः किसी राष्ट्रीय दल को ही सम्पूर्ण बहुमतीय जन-समर्थन कभी नहीं मिला है।

ऐसी स्थिति में अकेले कृषक वर्ग की समाजिक और राजनीतिक एकता भी प्रबलता के साथ प्रभावी सिद्ध हो सकती है। जैसेकि पश्चिमोत्तर भारत में जाट-किसानों द्वारा निर्मित अथवा प्रयुक्त अजगर-संघ का संगठन-सूत्र भी पर्याप्त प्रबल और सबल पंजाब से लेकर हरयाणा-राजस्थान से लेकर उत्तरप्रदेश तक सिद्ध हुआ है। दीनबंधु छोटूराम और किसान-मसीहा चौधरी चरणसिंह एवं चौ० देवीलाल जैसे 'किसान-केसरी' इसी जनगण का सशक्त सम्बल पाकर प्रदेशों से लेकर केन्द्रीय सत्ता संस्थानों तक के संचालक बने हैं। श्री महेन्द्र सिंह टिकैत इसी संघटना के बल पर ही देशभर के सर्वाधिक शक्तिशाली कृषक-नायक बनकर उभरे थे। चौ० चरणसिंह द्वारा उत्तरप्रदेश में क्रांतिकारी भूमि-सुधारों के कुशलतापूर्वक सफल

क्रियान्वयन से ही तो उनकी छवि एक उदग्र कृषक-नायक की बनी थी। उसी छवि-छटा की प्रभाव परिधि का ही व्यापक विस्तार होने पर ही तो वे देश की केन्द्रीय सत्ता शीर्ष तक भी पहुँच सके थे। हमारी तो यहाँ तक भी यही मन्तव्य है कि यदि किसानों का ईंजिन कही जाने वाली अकेली जाट जाति भी उ०प्र० से लेकर हरयाणा और पंजाब से लेकर राजस्थान तक सुसंगठित हो जाये तो वही सारे देशभर के किसानों को एक सशक्त और सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सकती है।

(ज) बहुजन गण की एकता और सत्ता-सम्प्राप्ति?

बिहार जैसे अति पिछडे हुए प्रान्त में भी हमने विगत विधान सभाई चुनावों में यह देखा था कि यादव-कुर्मी-कोयरी जैसी वहाँ की मध्यकिसान जातियों के त्रिवेणी संघ ने ही सत्ता-परिवर्तन का परम पराक्रम करके दिखा दिया था। अब किसानों की अलग-अलग जातियों में जो नवधनाढ्य वर्ग के नवनायक उभर कर आ रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत रूप से पद और प्रतिष्ठा पाने की प्रबल आंकाक्षा ही अब इस वर्ग की अटूट एकता की एक बडी बाधा है। भूविक्रय एवं विनिमय के कारण जो एक बिचौलिया अथवा दलाल वर्ग किसान-जातियों के मध्य में उभरकर आया है, उसके पास रातों-रात जैसे आकाश से ही लक्ष्मी वर्षा ही हुई है। अतएव अब उसी नवधन पति वर्ग के पास आजकल नवल धवल कोठियाँ है तो उन्हीं के पास विमल बहुमूल्य वाहनों की भी लम्बी कतारें हैं। अत: रैली और थैली का पटुतापूर्वक प्रबन्ध अब यही डीलर से लीडर बनने वाले नव नायक ही बन सकते हैं। मूलभूत किसानों की क्षमता और योग्यता भला अब इतने मंहगे चुनाव लड़कर सत्ता पाने की कहाँ है। पत्रकार जैसा बुद्धिजीवी वर्ग तो वैसे ही अब सत्ता का क्रीतदास बना बैठा है।

इस चिर चंचला पूंजी के पति ये डीलर अथवा संविदाकार किंवा ठेकेदार लोग जो हैं, यही जन्मजात जातिगत चेतना के जागरण के प्रबल पुरोधा आजकल हैं। इनका न अपना कोई निश्चित नीति-सिद्धांत ही हैं और न ही कोई नैतिक निष्ठा आज है। केवल येन केन प्रकारेण सत्ता या पद-प्राप्ति ही इनका एकान्त उद्देश्य है। उनकी अपनी कोई व्यावसायों पर अवलम्बित वर्ग-चेतना भी तो कहाँ है। यही नव कुबेर नाना नामधारी दलों के नवनायक बनकर क्षेत्रीय एवं प्रान्तीय राजनीतिज्ञ क्षितिजों पर आज भासमान है। व्यक्तिवाद से आगे चलकर परिवारवाद ही इनकी चिन्तन-सीमा है। यदि उससे भी आगे अग्रसर हुए तो अधिक से अधिक जन्मजात जातीय संगठन या सभाओं तक ही इनकी पहुँच होती है। उनका ही अनुचित उपयोग ऐसे बालखिल्य अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की संपूर्ति के लिए किया करते हैं। अतएव आज समस्त किसान वर्ग की राष्ट्रीय तो क्या, अब तो प्रादेशिक स्तर पर भी उसकी एकता और अखण्डता संभव नहीं हैं। तभी आजकल मत-पंथ की संकीर्ण स्वार्थी राजनीति में संलिप्त शहरी सवर्ण ही उन्हें निर्बल निवाला बना रहे हैं। इसलिए अब वे किसान-केसरी या सिंह भी कहाँ रह गये हैं। अब तो वे केवल पिच्छलग्गू भेड भर ही हैं। यदि समस्त अन्य पिछड़े किसान वर्ग और श्रमिक शूद्र एवं अल्पसंख्यक मिल जाएँ तो भारतभर की तीन चौथाई वही जनशक्ति है। यदि यही संगठित हो जाए तो इन्द्रप्रस्थ के स्वर्ण-सिंहासन पर उनका ही एकाधिकार हो सकता है।

''किसी लोककवि ने यह कितना उचित ही कहा है कि

ज्यों केले के पात-पात में पात रहे,
ज्यों कवियन की बात-बात में बात रहे;
त्यों हिन्दून में जात-जात में जात रहे।''

तथापि कितने ही परम्परा प्रवीण पुरोधा हिन्दू समाज की इस जन्मजात जाति-व्यवस्था को ही उसकी एकता की विधायक मानते रहे हैं। क्योंकि उनका अपना सम्बन्ध उच्च वर्णों अथवा द्विजातियों से ही तो रहा था। अतएव उन्होंने कदाचित् कदापि जाति के नाम पर होने वाले छुआछूत के भेदभाव को भोगा नहीं था। वरना वे इस अमानवीय एवं विभाजनकारी और विषमतावर्धक सामाजिक संरचना की त्रिकाल में भी वकालत क्यों करते। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक न जाने क्यों इस जन्मजात जाति व्यवस्था के ही प्रबल पृष्ठ-पोषक कैसे बने रहे थे। वे जाति एवं धर्म(हिन्दू या सनातन) को ही हिन्दू मात्र की चिरन्तन अटूट एकता का अबाध आधार न जाने क्यों मानते रहे थे। संभवत: सवर्ण स्वामियों के वर्गहित इसी व्यवस्था में अनवरत अक्षुण्ण रह सकते थे। इसीलिए सवर्ण हिंदू-समाज ने सदैव इस विभाजनकारी व्यवस्था का सशक्त समर्थन ही किया है। क्योंकि उनको जन्मजात आधार पर ही इस विषमतामूलक व्यवस्था में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। यथा, शिक्षा और ज्ञानप्राप्ति पर यदि विप्र वर्ग का अबाध एकाधिकार था तो शासन-प्रशासन की शक्ति क्षत्रियों के लिए ही आरक्षित थी। जबकि भूसम्पदा से लेकर वाणिज्य व्यापार का सारा ही तंत्र वैश्य वर्ग के हाथों में ही केन्द्रित था। फिर ऐसी विशेषाधिकार प्राप्त व्यवस्था को वे सवर्ण स्वामी क्यों बदलकर भला उसको समता के सन्मार्ग पर मान देते। इस विषय में लोककवि गिरधर कविराय की ये काव्य-पंक्तियाँ कितनी संदर्भ-सापेक्ष सिद्ध हुई हैं-

''जिनकी धन-धरती हरी ना रहिये उनके संग,
यदि रहिये संग तो फिर कीजै उन्हें अपंग।''

श्रमिक शूद्रों किवां किसानों और कामगारों पर धर्मशास्त्रों में ऐसी ही निर्योग्यताएँ आरोपित अनायास नहीं की होंगी। जोकि उनको शिक्षा या विद्या और रक्षा एवं धर्नाजन के मूलभूत मानवाधिकारों से भी सदियों तक वंचित और प्रवंचित रखा गया था। सामन्ती शासन-व्यवस्था में वह सब सहजतया चल भी सकता था। लेकिन अब तो भारतवर्ष में जनतंत्र का सूर्योदय हो गया है। जनतंत्र केवल मत की समानता तक ही सीमित नहीं है अपितु वह राष्ट्रीय संसाधनों और सत्ता-संसाधनों में बहुजनगण की सक्रिय सहभागिता का भी नाम है। परन्तु वह तो व्यापक वर्गीय चेतना और संगठन से ही संभव है। लेकिन जन्मजात जाति-व्यवस्था और खान-पान में भी भेदभाव और श्रमिक संवर्ग में जब तक रोटी-बेटी के स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित नहीं होंगे, तब तक उनकी राजनीतिक एकता भी कैसे संभावी होगी। अतएव केन्द्रीय सत्ता-संस्थानों तक उनकी पहुँच भी असंभव ही है।

आर्थिक अनुदान की अपील

आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जाट सभा चंडीगढ़ द्वारा 6 जून 2019 को गांव कोटली बाजालान-नोमैई कटरा जम्मु में जी टी रोड़ पर 10 कनाल भूमि की भू-स्वामी श्री संतोष कुमार पुत्र श्री बदरी नाथ निवासी गांव कोटली बाजालान, कटरा, जिला रियासी (जम्मु) के साथ लंबी अवधि के लिए लीज डीड पंजीकृत की गई है। इस भूमि का इंतकाल भी 6 जुलाई 2019 को जाट सभा चंडीगढ़ के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार इस भूमि पर जाट सभा चंडीगढ़ का पूर्ण स्वामीत्व स्थापित हो चुका है। बिल्ड़िग के मजबूत ढ़ांचे/निर्माण के लिये साईट से मिट्टी परीक्षण करवा लिया गया है और बिल्ड़िंग के नक्शे/ड्राईग पास करवाने के लिये सम्बन्धित विभाग में जमा करवा दिये गये है। इसके अलावा जम्मु प्रशासन व माता वैष्णों देवी साईन बोर्ड कटरा को यात्री निवास साईट पर जरूरी मूल भूत सार्वजनिक सेवायें - छोटे बस स्टैड़, टू-व्हीलर सैल्टर, सार्वजनिक शौचालय, वासरूम, पीने के पानी का स्टाल आदि के निर्माण हेतु पत्र लिखकर निवेदन किया गया है।

जाट सभा द्वारा यात्री निवास भवन का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने का प्रयास था लेकिन कोविड़-19 महामारी के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका और इस महामारी का जाट सभा की वित्तीय स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा है। जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला यात्री निवास भवन का निर्माण करने पर वचनबद्ध है और वर्ष 2021 के शुरू में निर्माण शरू कर दिया जायेगा।

यात्री निवास भवन का शिलान्यास व दीन बंधु चौधरी छोटू राम की विशालकाय प्रतिमा का अनावरण 10 फरवरी 2019 को बसंत पंचमी उत्सव एवं दीन बंधु चौधरी छोटूराम की 136वीं जयंती समारोह के दौरान महामहिम राज्यपाल, जम्मु काश्मीर माननीय श्री सत्यपाल मलिक द्वारा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पीएमओ डा० जितेंद्र सिंह व जाट सभा के अध्यक्ष एवं हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डा० एम एस मलिक, भा०पु०से० (सेवा निवृत) की उपस्थिति में संपन्न किया गया।

यात्री निवास भवन एक लाख बीस हजार वर्ग फुट में बनाया जाएगा जिसमें फैमिली सुईट सहित 300 कमरे होगें। भवन परिसर में एक मल्टीपर्पज हाल, कांफ्रैंस हाल, डिस्पैंसरी, मैडीकल स्टोर, लाईब्रेरी, बच्चों की प्रतिभा विकास एवं विभिन्न व्यवसायिक व सुरक्षा संबंधी सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग की विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगीं। सुरक्षा सैनिकों, शहीद परिवारों व उनके आश्रितों के लिए मुफत ठहरने तथा माता वैष्णों देवी के श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगीं।

आप सभी से नम्र निवेदन है कि इस कल्याणकारी व पुनित सामाजिक कार्य के लिए स्वेच्छा अनुसार शीघ्र अनुदान देने की कृपा करें ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जा सके जोकि आज सभी के सहयोग से ही संम्भव हो सकेगा। यदि कोई दानी सज्जन यात्री निवास में कमरे के निर्माण हेतू 5 लाख रूपये या इससे अधिक की राशि दान देता है तो उसका नाम भवन परिसर में उचित स्थान पर अंकित किया जाएगा और उसे भवन में आजीवन मुफ्त ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जम्मु काश्मीर के भाई-बहन व दानवीर सज्जन इस संबंध में चौधरी छोटु राम सेवा सदन के अध्यक्ष श्री सर्बजीत सिंह जोहल (मो०नं० 9419181946), श्री भगवान सिंह उप प्रधान (मो०नं० 8082151151) व केयर टेकर श्री मनोज कुमार (मो०नं० 9086618135) पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री निवास भवन के लिए अनुदान देने वाले सज्जनों का उचित विवरण रखा जाएगा और उनका नाम जाट सभा द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका 'जाट लहर' में भी प्रकाशित किया जाएगा। भवन निर्माण की अनुदान राशि चैक, डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 'जाट सभा चंडीगढ़' के पक्ष में जाट भवन 2-बी, सैक्टर 27-ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़ में भेजी जा सकती है अथवा आर टी जी एस की मार्फ्त सीधे जाट सभा के बचत खाता नंबर 50100023714552, आईएफएससी कोड- एचडीएफसी 0001324 में ट्रांसफर की जा सकती है।

अनुदान की राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-जी के तहत आयकर से मुक्त है।

निवेदक : कार्यकारिणी जाट सभा चंडीगढ़/पंचकुला,
चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

अहंकार से तप नष्ट हो जाता है और इधर-उधर कहने से दान निष्फल हो जाता है। -मनु

दानवीर साहू द्वारा यात्री निवास कटरा के लिये विशेष आर्थिक योगदान

श्री राम कंवर साहू सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह, गांव बीबीपुर, जिला जीन्द (हरियाणा) के वर्तमान निवासी मकान नं० 110, सुभाष नगर रोहतक ने अत्यन्त श्रद्धा एवं विनम्रता पूर्वक अपनी स्वर्गीय माता श्री मति बरजी देवी एवं स्वर्गीय पिता चौ० पूर्ण सिंह की मधुर यादगार में 5,11,111/– (पांच लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये) की राशि चौ० छोटूराम सेवा सदन यात्री निवास कटरा–जम्मु में कक्ष के निर्माण हेतू जाट सभा चण्डीगढ़ को सहर्ष और आदरपूर्वक दान स्वरूप प्रदान की है।

जाट सभा चण्डीगढ़, पंचकूला एवं चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा–जम्मु के समस्त सदस्यगण इस पवित्र कार्य के लिये सार्वजनिक हित में दिये गये अनुदान के लिये श्री राम कंवर साहू का तहदिल से अभिनंदन व आभार व्यक्त करते है और उनके व समस्त परिवार के सुखद स्वास्थ्य एवं मंगलमय भविष्य के लिये परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते है।

प्रधान, जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला एवं
चेयरमैन, चौ० छोटूराम सेवा सदन कटरा (जम्मु)

शोक सन्देश

जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला एवं चौ० छोटू राम सेवा सदन कटरा–जम्मु के महासचिव श्री राज कपूर मलिक की समधन एवं स्व० कैप्टन राजेन्द्र सिंह देशवाल की धर्मपत्नि श्रीमती शीला देवी (अमेरीका निवासी) का घातक बीमारी से स्वर्गवास हो गया। स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी एक आध्यात्मिक, धार्मिक और दयालु महिला विभूति थी। वह भारतीय महिला और महिला सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिभूति थी जिन्होंने हमेशा गरीब व असहाय लोगों की मदद की। वह प्रसिद्ध सेना अधिकारियों के परिवार से संबंध रखती थी और दादरी (हरियाणा) के दिवगंत लेफ्टिनेट जरनल उमराव सिंह और कर्नल हीरा सिंह की बहन थी तथा पानीपत जिले (हरियाणा) के गांव अटां के प्रगतिशील किसान परिवार के सेना अधिकारी स्वर्गीय कैप्टन राजेन्द्र सिंह देशवाल से उनकी शादी हुई थी। श्रीमती शीला देवी के निधन से समाज को काफी क्षति हुई है। जिसकी भरपाई मुश्किल है। जाट सभा की ओर से शोक प्रस्ताव पास करके श्रीमती शीला देवी के बेटे अमेरिका निवासी श्री मनिन्द्र देशवाल को भेजकर शोक संतपत परिवार के प्रति हार्दिक सवेदंना व्यक्त की गई। परमपिता परमेश्वर दिवगंत आत्मा को सदगति एवं शान्ति प्रदान करे तथा श्री मनिन्दर देशवाल व श्री राज कपूर मलिक के परिवार को इस दुखद दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

जाट सभा चण्डीगढ़/पंचकूला की सदस्य डॉ० मनीषा धर्मपत्नी (डॉ० सतपाल) का 11.12.2020 को देहान्त हो गया। डॉ० मनीषा, सहायक प्रोफेसर (इंग्लिस) महिला महाविद्यालय, रोहतक में कार्यरत थी। स्वर्गीय डॉ० मनीषा एक आध्यात्मिक, धार्मिक और दयालु महिला विभूति थी। वह भारतीय महिला और महिला सशक्तिकरण की आदर्श प्रतिभूति थी जिन्होंने हमेशा गरीब व असहाय लोगों की मदद की। स्वर्गीय डॉ० मनीषा के निधन से समाज को काफी क्षति हुई है। जिसकी भरपाई मुश्किल है। परमपिता परमेश्वर दिवगंत आत्मा को सद गति एवं शान्ति प्रदान करे तथा डॉ० सतपाल के परिवार को इस दुखद दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

सम्पादक मंडल

सरंक्षक एवं सम्पादक : डा. एम.एस. मलिक, आई.पी.एस. (सेवानिवृत)
सह–सम्पादक : डा॰ राजवन्तीमान
साज सज्जा एवं आमुख : श्री आर. के. मलिक
प्रकाशन समिति : श्री बी.एस. गिल, मो० : 9888004417
श्री जे.एस. ढिल्लो, मो० : 9416282798
वितरक : श्री प्रेम सिंह, कार्यालय सचिव, जाट भवन, चण्डीगढ़

जाट भवन 2–बी, सैक्टर 27–ए, चण्डीगढ़
फोन : 0172–2654932 2641127
Email: jat_sabha@yahoo.com; Website: www.jatsabha.org

सर छोटूराम जाट भवन, सैक्टर–6, पंचकूला
फोन : 0172–2590870, Email: jatbhawan6pkl@gmail.com

चौधरी छोटू राम सेवा सदन, कटरा, जम्मू

Postal Registration No. CHD/0107/2018-2020

RNI No. CHABIL/2000/3469

मुद्रक प्रकाशन एवं सरंक्षक सम्पादक डा. एम. एस. मलिक ने जाट सभा, चंडीगढ़ के लिए एसोशियटिड प्रिन्टर्ज, चंडीगढ़, फोन : 0172-2650168 से मुद्रित करवा कर जाट भवन, 2-बी, मध्यमार्ग, सैक्टर 27-ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित किया।